रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 10, 2014/फाल्गुन 19, 1935
No. 69] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 10, 2014/PHALGUNA 19, 1935

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2014

## अंतिम जांच परिणाम

**विषय : चीन जन.गण. की मूल के या वहां से निर्यातित प्रीसेंसीटाइज्ड पॉजीटिव आफसैट एल्यूमिनियम प्लेट्स/पी एस प्लेट्स के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा (एसएसआर)**

**फा. सं. 15/11/2012.—**डीजीएडी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए;

### क. मामले की पृष्ठभूमि

1. यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने 24 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या 14/6/2006-डीजीएडी के तहत बुल्गारिया, चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के मूल की या वहां से निर्यातित प्रीसेंसीटाइज्ड पॉजीटिव आफसैट एल्यूमिनियम प्लेट्स/पी एस प्लेट्स (जिन्हें आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में मूल जांच शुरू की थी। चीन जन.गण., बुल्गारिया, मलेशिया, सिंगापुर और कोरिया गण. के मूल की या वहां से निर्यातित प्रीसेंसीटाइज्ड पॉजीटिव आफसैट एल्यूमिनियम प्लेट्स (दोनों ओर 0.03 मि.मी. के साथ 0.15 मि.मी. से 0.40 मि.मी. तक की मोटाई की) के आयातों पर संदर्भ कीमत आधार पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए प्राधिकारी द्वारा 23.8.2007 की अधिसूचना संख्या 14/6/2006-डीजीएडी के तहत अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी। अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा चीन जन.गण., बुल्गारिया, मलेशिया, सिंगापुर और कोरिया गण. के मूल की या वहां से निर्यातित प्रीसेंसीटाइज्ड पॉजीटिव आफसैट एल्यूमिनियम प्लेट्स (दोनों ओर 0.03 मि.मी. के साथ 0.15 मि.मी. से 0.40 मि.मी. तक की मोटाई की) के आयातों पर 25.9.2007 की अधिसूचना संख्या 108/207-सीमाशुल्क के तहत संदर्भ कीमत आधार पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. यतः अंतिम जांच परिणामों और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने को चुनौती देते हुए अपीलें माननीय सेस्टेट के समक्ष दायर की गई थीं। माननीय सेस्टेट ने 11 अगस्त, 2011 के अपने आदेश संख्या एडी/31/51/2011 के तहत यह मामला अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित आदेश के साथ निर्दिष्ट प्राधिकारी को वापिस भेज दिया था :–

> ''15.तद्नुसार हम आवेदकों को निर्णयोपरांत सुनवाई का अवसर देने और अंतिम जांच परिणाम में ऐसे उपांतरण करने जिन्हें ऐसे निर्णयोपरांत सुनवाई के परिणामस्वरूप आवश्यक समझा जाए, करने के लिए ये अपीलें निर्दिष्ट प्राधिकारी को वापस भेजने की अनुमति देते हैं । प्रतिवादी घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, यदि कोई हो, को भी ऐसे निर्णयोपरांत सुनवाई में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। अंतिम जांच परिणाम में किए गए किसी उपांतरण पर पाटनरोधी शुल्क लगाने वाली आक्षेपित अधिसूचना में आवश्यक संशोधन कर सरकार द्वारा उन्हें प्रभावी बनाते हुए विचार किया जाएगा । यह प्रक्रिया इस आदेश की तारीख से 6 माह के भीतर पूरी की जाएगी और इस बीच यथास्थिति बनाए रखी जाएगी । चूंकि हम इन अपीलों की अनुमति वापस भेजकर प्रदान कर रहे हैं, इसलिए संबंधित स्थगन याचिकाएं, एम ए तथा सी ओ को निपटाया गया माना जाएगा ।''

3. माननीय सेस्टेट के उपर्युक्त आदेशों के अनुपालन में प्राधिकारी ने 9 फरवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या 14/6/2006:डीजीएडी के तहत जारी अपने निर्णयोपरांत जांचपरिणामों के तहत 23 अगस्त, 2007 की अधिसूचना संख्या 14/6/2006–डीजीएडी के तहत जारी किए गए अपने मूल जांच परिणामों और उनमें की गई सिफारिशों की शीर्षस्थ न्यायालय के समक्ष अपील के प्रति पूर्वाग्रह के बिना पुनः पुष्टि की। प्राधिकारी ने सस्टेट के आदेशों को चुनौती देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक अपील भी दायर की थी जो लंबित है।

4. यतः मैसर्स कोडक (चीन) ग्राफिक कम्यूनिकेशन्स कंपनी लि0 (चीन जन.गण. के उत्पादक/निर्यातक) ने सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 22 के अंतर्गत एक न्यू शिपर समीक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया और निर्दिष्ट प्राधिकारी से निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी 23 अगस्त, 2007 के अंतिम जांच परिणामों के अनुसरण में चीन जन.गण. के मूल की या वहां से निर्यातित प्रीसेन्सीटाइज्ड पॉजीटिव ऑफसेट एल्यूमिनियम प्लेट्स पर 25 सितम्बर, 2007 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 108/2007 के तहत लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की न्यू शिपर समीक्षा शुरू करने का अनुरोध किया। प्राधिकारी ने 23 फरवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या 15/13/2009–डीजीएडी के तहत जारी अपने एनएसआर जांच परिणामों के तहत यह निष्कर्ष निकाला था कि मैसर्स कोडक (चीन) ग्राफिक कम्यूनिकेशन्स कंपनी लि0, चीन जन.गण. को पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत न्यू शिपर नहीं माना जा सकता और इसलिए वह अलग पाटनमार्जिन की पात्र नहीं है।

5. यतः मैसर्स टैक्नोवा इमेजिंग सिस्टम्स (प्रा0) लि0 और मैसर्स लास्ट्रा प्रा0 लि0 ने बुल्गारिया, चीन जन.गण., मलेशिया, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के मूल की या वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के पाटन/पाटन की संभावना का आरोप लगाते हुए भारत में सम्बद्ध वस्तु के उत्पादकों की ओर से प्राधिकारीं के समक्ष एक आवेदन दायर किया और संबंधित पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने, उसे जारी रखने और उसे बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने शुल्क के स्वरूप को संदर्भ कीमत से बदलकर निर्धारित रूप में करने का भी अनुरोध किया।

6. यतः जहां तक चीन जन.गण. का संबंध है, आवेदन की प्रारंभिक जांच से प्रथम दृष्टया यह पता चला कि पाटनरोधी उपाय लागू होने के बावजूद सम्बद्ध वस्तु का पाटन रूका नहीं है, पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध अथवा पाटन की संभावना तथा बुल्गारिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर के मूल की या वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के आयातों के कारण क्षति को सिद्ध करने के लिए आवेदकों द्वारा कोई तथ्यात्मक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका। वस्तुतः आवेदकों ने 5 सितम्बर, 2012 के पत्र के तहत स्वयं यह सूचित किया था किः

> (क) चूंकि बुल्गारिया स्थित संयंत्र बंद कर दिया गया है इसलिए प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह बुल्गारिया के संबंध में निर्णायक समीक्षा शुरू न करें क्योंकि इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।
>
> (ख) यदि प्राधिकारी यह समझते हैं कि मलेशिया, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के खिलाफ निर्णायक समीक्षा शुरू करना उचित नहीं है तो प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह चीन जन.गण. के खिलाफ जांच शुरू करें।

7. उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने 18 सितम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या 15/11/2012–डीजीएडी के तहत केवल चीन जन.गण. (जिसे आगे सम्बद्ध देश कहा गया है) के मूल की या वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में निर्यायक समीक्षा जांच शुरू की।

8. जांच की क्षति अवधि में सुधार करते हुए 3 जनवरी, 2013 की समसंख्यक अधिसूचना के तहत प्राधिकारी द्वारा शुद्धि संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी।

**ख. <u>प्रक्रिया</u>**

9. जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है :–

i. नियम 6(2) के अनुसार जांच की शुरूआत के बारे में नई दिल्ली स्थित चीन जन.गण. के दूतावास को सूचित किया गया था।

ii. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की ओर से आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर और अधिनियम तथा नियमों के अनुसार 18 सितम्बर, 2012 को वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की जिसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था ताकि इस बात की जांच की जा सके कि क्या शुल्क समाप्त किए जाने से सम्बद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु का पाटन जारी रहेगा या उसकी पुनरावृत्ति होगी और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होगी।

iii. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 6(3) के अनुसार घरेलू उद्योग के आवेदन के अगोपनीय रूपांतरण की प्रतियां ज्ञात निर्यातकों और नई दिल्ली स्थित चीन जन.गण. के दूतावास को उपलब्ध कराई। अनुरोध करने पर घरेलू उद्योग के अगोपनीय आवेदन की प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई थी।

iv. प्राधिकारी ने नियम 6(2) और 6(4) के अनुसार सार्वजनिक सूचना की प्रति निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों (जिनके नाम और पते पाधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे) को भेजी और उन्हें पत्र की तारीख से चालीस दिन के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया जिसकी प्रति नई दिल्ली स्थित सम्बद्ध देश के दूतावास को भेजी गई थी:

1. कोडक (चीन) ग्राफिक कम्यूनिकेशन
2. फ्यूजी फिल्म प्रिंटिंग प्लेट (चीन) कंपनी लि0
3. जिंग्राफिक्स, चीन
4. दि सेकण्ड फिल्म फैक्टरी ऑफ लकी ग्रुप (चीन)
5. लकी हुआ गांग ग्राफिक्स कंपनी लि0

v. निर्धारित समय के भीतर प्राधिकारी को संगत सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हुए चीन जन.गण. के सभी ज्ञात निर्यातकों और दूतावास को बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार (एमईटी) संबंधित प्रश्नावली भी भेजी गई थी।

vi. यद्यपि चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य की जांच के प्रयोजनार्थ भारत में विधिवत समायोजित सम्बद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के आधार पर विचार किया गया था तथापि, प्राधिकारी ने ज्ञात निर्यातकों को यह सूचित किया कि उसका प्रस्ताव यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध–1 के पैरा 7 और पैरा 8 के मद्देनजर आवेदक के दावे की जांच करने का है। अतः चीन जन.गण. के सम्बद्ध वस्तु के निर्यातकों/उत्पादकों से अनुरोध किया गया था कि वे पैरा 8 के उप पैरा (3) में यथाउल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करें ताकि प्राधिकारी इस बात पर विचार कर सकें कि क्या सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान किया जा सकता है।

vii. सम्बद्ध देश के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली अथवा बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार (एमईटी) संबंधी प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया।

viii. निर्यातकों को भेजे गए पत्र, याचिका और प्रश्नावली की प्रति के साथ जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की प्रति नई दिल्ली स्थित सम्बद्ध देश के दूतावास को भी भेजी गई थी और उससे यह अनुरोध किया गया था कि वह निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें।

ix. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की प्रति भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों को भेजी:

1. कोडक इंडिया प्रा0लि0
2. फ्यूजी फिल्म इंडिया प्रा0लि0
3. न्यून टैक (इंडिया)

4. कपूर इमेजिंग प्रा0लि0
5. हीडलबर्ग इंडिया प्रा0लि0
6. मैक्स फ्लैक्स एंड इमेजिंग सिस्टम्स प्रा0लि0
7. एमएस ग्राफिक्स प्रा0लि0
8. एलाइड इंटरप्राइजेज
9. ऑल इंडिया फैडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स
10. द बाम्बे मास्टर प्रिंटर्स
11. दिल्ली प्रिंटर्स एसोसिएशन
12. सलेम जिला ऑफसैट प्रिंटर्स एसोसिएशन
13. प्रगति ऑफ सैट प्रा0लि0
14. के जोशी एंड कं0
15. सिल्वर प्वाइंट प्रैस प्रा0लि0
16. आर आर डौन्नेली इंडिया
17. टीपीसीएल पैकेजिंग लि0
18. बैनेट कोलमैन एंड कं0 लि0
19. जागरण प्रकाशन लि0
20. दैनिक भास्कर ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन
21. यूटिलिटी प्रिंटर्स
22. मैसर्स क्रीड इंजीनियर्स प्रा0लि0
23. दि मद्रास प्रिंटर्स एंड लिथोग्राफर्स

x. किसी भी भारतीय उत्पादक/प्रयोक्ता ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया।

xi. जांच की कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों की ओर से अनुरोध प्राप्त हुए हैं:

I. लकी हुवागांग ग्राफिक्स कं0लि0, चीन जन.गण.
II. क्रीड इंजीनियर्स प्रा0लि0
III. ऑल इंडिया फैडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स
IV. नोएडा ऑफसैट प्रिंटर्स एसोसिएशस
V. आंध्र प्रदेश प्रिंटर्स एसोसिएशन
VI. इंडियन लैंग्वेजेज न्यूज पेपर्स एसोसिएशन
VII. दिल्ली प्रिंटर्स एसोसिएशन
VIII. ओरियन फोटो सेन्सीटिव सिस्टम्स

xii. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 (12 माह) की है । तथापि, क्षति विश्लेषण में वर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11 और जांच अवधि शामिल हैं । पाटन और क्षति की संभावना का निर्धारण करने के लिए जांच अवधि से आगे के आंकड़ों की भी जांच की गई है ।

xiii. घरेलू उद्योग ने गौण स्रोतों अर्थात एग्जिमनेट के आंकड़ों पर भरोसा किया था। जांच अवधि और जांचोत्तर अवधि सहित क्षति अवधि के लिए सम्बद्ध वस्तु के आयातों के ब्यौरों की व्यवस्था करने के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था। चूंकि एग्जिमनेट स्रोत के अनुसार जांच अवधि के दौरान सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों में सूचित मात्रा से अधिक पाई गई थी। यद्यपि आंकड़ों के दोनों स्रोतों में सम्बद्ध वस्तु की कीमत लगभग समान स्तर पर थी, तथापि, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में एग्जिमनेट स्रोत के आंकड़ों पर भरोसा किया है। इसके अलावा एग्जिमनेट स्रोत के आंकड़ों में कई अन्य सीमा शुल्क शीर्षों के अंतर्गत सम्बद्ध वस्तु के आयातों की सूचना दी गई है जिनके बारे में यह प्रतीत नहीं होता है कि इन्हें डीजीसीआईएंडएस स्रोत के आंकड़ों में शामिल किया गया है।

xiv. जिन निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी को इस जांच से संगत न तो कोई उत्तर दिया है और न ही सूचना प्रदान की है, उन्हें प्राधिकारी द्वारा असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है।

xv. भारत में सम्बद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और क्षति रहित कीमत निकालने के लिए प्राधिकारी ने अनुबंध–III में निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सूचना की संभव सीमा तक जांच की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पाटनमार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

xvi. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने 12 अगस्त, 2013 को आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर भी प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार व्यक्त किए थे उनसे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने का आग्रह किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त लिखित अनुरोधों में दिए गए तर्कों पर प्राधिकारी द्वारा वर्तमान प्रकटन विवरण में जहां संगत पाया गया है, विचार किया गया है।

xvii. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना और आंकड़ों का सत्यापन आवश्यक समझी गई सीमा तक किया है।

xviii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के बारे में की गई थी । संतुष्ट होने के उपरांत प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हुआ है, गोपनीयता प्रदान की है और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है और इसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया है । जहां संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदाता पक्षकारों को यह निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराएं।

xix. प्राधिकारी द्वारा जांच के आवश्यक तथ्यों का प्रकटन 10 फरवरी, 2014 के प्रकटन विवरण के तहत किया गया था और जांच की कार्रवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त अनुरोधों सहित उन पर प्राप्त टिप्पणियों पर प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है ।

xx. राजस्व विभाग ने 29 अक्टूबर, 2013 के अपने कार्यालय सं. 354/136/2007–टीआरयू के तहत संबद्ध जांच को पूरा करने के लिए 17 मार्च, 2014 तक समय विस्तार की अनुमति प्रदान की ।

xxi. जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना जुटाने से मना किया है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने यह प्रकटन विवरण ''उपलब्ध तथ्यों'' के आधार पर दर्ज किया है और ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है ।

xxii. *** यह चिन्ह इस अधिसूचना में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना है ।

xxiii. जांच अवधि के लिए विनिमय दर 48.14 रूपए = 1 अम.डा. ली गई है ।

## ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

10. वर्तमान निर्णायक सीमक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद मूल जांच की भांति प्री सेंसीटाइज्ड पोजिटिव ऑफसैट एल्यूमिनियम प्लेट्स (जिन्हें ''पी एस प्लेट्स'' या संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) है । प्राधिकारी द्वारा 23.8.2007 की अधिसूचना सं0 14/6/2006 के तहत जारी अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद को परिभाषित किया था और निम्नानुसार मत व्यक्त किया था ।

> ''5. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद प्री सेंसीटाइज्ड पोजिटिव ऑफसैट एल्यूमिनियम प्लेट्स (जिन्हें ''पी एस प्लेट्स'' या संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) है । संबद्ध वस्तु का प्राथमिक उपयोग मुद्रण प्रतिष्ठानों में किया जाता है । गुणवत्ता, गति एवं प्रयोक्ताओं की लागत संबंधी अपेक्षाओं तथा उनके पास उपलब्ध इमेजिंग प्रौद्योगिकी के अनुकूल तैयार की गई एल्यूमिनियम ऑफसैट प्लेट्स के विभिन्न प्रकार होते हैं अर्थात नॉन सेंसीटाइज्ड ग्रेंड प्लेट्स; प्रीसेंसीटाइज्ड प्लेट्स (पॉजीटिव या नगेटिव वर्किंग); डिजिटल प्लेट्स (थर्मल या वायलेट या यू वी सेंसिटिव) । संबद्ध वस्तु की मोटाई 0.15 मिमी. से 0.40 मिमी. के बीच होती है । वर्तमान आवेदन में दोनों ओर 0. 03 मिमी. के अंतर के साथ 0.15 मिमी0 से 0.40 मिमी. तक की मोटाई की सभी प्रकार की पीएस प्लेट्स शामिल हैं ।
>
> 6. पी एस प्लेट्स ऑफसैट प्रिंटिंग मशीन पर एक इमेज कैरियर के रूप में कार्य करती है और यह लिथोग्राफिक ऑफसैट प्रिंटिंग प्रक्रिया में अंतिम इंक होती है । मुद्रण उद्योग द्वारा इसका उपयोग अखबारों, लोचशील पैकेजिंग सामग्री, पुस्तकों के मुद्रण, सामान्य वाणिज्यिक मुद्रण और लेखन सामग्री, व्यापारिक प्रपत्रों के मुद्रण हेतु शीट फैड एवं वैब फैड ऑफसैट प्रिटिंग मशीनों पर किया जाता है । संबद्ध वस्तु का विनिर्माण सतह की इलेक्ट्रो–रासायनिक अभिक्रिया द्वारा क्वायलों अथवा ''लिथोग्रेड'' एल्युमिनियम की शीटों से किया जाता है जिसके बाद फोटो सेंसिटिव कोटिंग, ड्राइंग की जाती है और अपेक्षित आयामों के अनुसार शीटों को काटा जाता है ।संबद्ध वस्तु सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 84 के अंतर्गत आती है । यद्यपि, पी एस प्लेट्स का 6 अंकीय स्तर पर वर्गीकरण 84425020 है तथापि, संबद्ध वस्तु का आयात उप शीर्षों 37013000, 37040090, 37051000, 76069190 और 76069290 के अंतर्गत भी किए जाने की सूचना दी गई है । तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है । जांच की शुरूआत के बाद विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे को इस प्रकार स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि उसमें नेगेटिव प्लेट्स और डिजिटल प्लेट्स जैसे अन्य उत्पाद शामिल न हो सकें । प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क की जांच की है और यह मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद में नेगेटिव प्लेट्स और डिजिटल प्लेट्स शामिल नहीं हैं, नेगेटिव ऑफसैट प्लेट्स और दोनों ओर 0.03 मिमी0 के अंतर के साथ 0.15 मिमी0 से 0.40 मिमी. के बीच की मोटाई की प्रीसेंसीटाइज्ड पॉजेटिव ऑफसैट एल्युमिनियम प्लेट्स से इतर सभी प्लेटें जांच के दायरे से बाहर हैं ।''

11. दिनांक 25.9.2007 की अधिसूचना सं0 108/2007–सी.शु. में दी गई शुल्क तालिका के अनुसार यह उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 37, 76 या 84 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है । तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है ।

12. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देश से आयातित वस्तु के समान वस्तु है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रकिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विर्निदेशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संबंध में तुलनीय है । दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के मुद्दे की जांच की है जिस पर भरोसा किया गया है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित वस्तु नियमानुसार समान वस्तुएं हैं ।

13. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण प्राधिकारी इस बात पर विचार करते हैं कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र मूल जांच के समान रहता है । इसके अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में संशोधन का अनुरोध करते हुए अथवा संबद्ध देशों से आयातित और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एवं आपूर्त संबद्ध वस्तु की समानता का विरोध करते हुए कोई संगत अनुरोध नहीं किया है ।

**घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार**

14. यह आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से मै0 टैक्नोवा इमेजिंग सिस्टम्स (प्रा0) लि0 और मै0 लास्ट्रा नीरज प्रा0 लि0 द्वारा दायर किया गया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपर्युक्त घरेलू उत्पादकों का उत्पादन घरेलू समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का लगभग 100 प्रतिशत बनता है । इसके अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्राधिकारी से यह अपेक्षा करते हुए इस बारे में कोई संगत अनुरोध नहीं किया है कि घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार की विशिष्ट जांच कर उसका निवारण किया जाए । इसके अलावा, एक अन्य घरेलू उत्पादक ओरियन फोटो सेंसिटिव सिस्टम्स ने सार्वजनिक सुनवाई के दौरान याचिका का समर्थन किया । उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै0 टैक्नोवा इमेजिंग सिस्टम्स (प्रा0) लि0 और मै0 लास्ट्रा नीरज प्रा0 लि0 का उत्पादन समान वस्तु के घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है और वे नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं ।

**ड. गोपनीयता**

**घरेलू उद्योग के अनुरोध**

i. यह आरोप सही नहीं है कि घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है ।

ii. सार्वजनिक फाइल में रखी गई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 और संबंधित व्यापार सूचनाओं की अपेक्षाओं को पूरा करती है ।

**निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध**

i. याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है ।

ii. टैक्नोवा से सार्वजनिक फाइल में अपनी वार्षिक रिपोर्टें रखने को कहा जाना चाहिए ।

**प्राधिकारी द्वारा जांच**

15. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता संबंधी दावों की जांच की है । प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतरण सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया । जहां तक सूचना की गोपनीयता का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नानुसार उपबंध है :

(1) नियम 6 के उप नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप नियम (2), नियम 15 के उप नियम (4) और नियम 17 के उप नियम (4) में किसी बात के होते हुए भी नियम (5) के उप नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियों अथवा निर्दिष्ट प्राधिकारी को जांच के दौरान किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त किसी अन्य सूचना को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसकी गोपनीयता के बारे में संतुष्ट होने के बाद उसके द्वारा गोपनीय माना जाएगा और ऐसी किसी सूचना का प्रकटन ऐसी सूचना प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को नहीं किया जाएगा ।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रदाता पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रदाता पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है तो ऐसा पक्षकार ऐसे कारणों का एक विवरण निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है । उप नियम (3) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है या सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्यीकृत रूप में या सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं ।

16. अंतिम जांच परिणाम प्रदान करने से पूर्व आवश्यक तथ्यों के प्रकटन के बारे मे उपबंध पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 में निर्धारित किया गया है । नियम 16 के अंतर्गत भी गोपनीय तथ्यों को केवल ''संबंधित हितबद्ध पक्षकारों'' के समक्ष प्रकटित करने की अपेक्षा की गई है । जबकि अगोपनीय तथ्यों को सभी हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकटित करना अपेक्षित है । किसी भी चरण पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रतिस्पर्धी अथवा विरोधाभासी हित रखने वाले पक्षकारों को गोपनीय सूचना प्रकटित करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है ।

17. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के बारे में की गई थी । संतुष्ट होने के उपरांत प्राधिकारी ने अपेक्षानुसार गोपनीयता प्रदान की है और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है जिसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया है । तथापि, जहां संभव हुआ है, गोपनीय आधार

पर सूचना प्रदाता पक्षकारों को यह निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराएं और अगोपनीय सूचना सार्वजनिक फाइल के रूप में हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी ।

18. मै0 टैक्नोवा द्वारा प्रदान की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रति सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध है ।

**विविध अनुरोध**

**घरेलू उद्योग**

19. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विविध अनुरोध निम्नानुसार हैं :–

i. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत विधिसम्मत है और प्राधिकारी के अधिकारों के भीतर है ।

ii. डॉलर के मुकाबले रूपए में तेजी से आई गिरावट के कारण घरेलू विनिर्माताओं को नुकसान हुआ है क्योंकि पीएस प्लेट्स की 70 प्रतिशत से अधिक उत्पादन लागत डॉलर–रूपया विनिमय दर से संबद्ध है । यद्यपि, संदर्भ कीमत पर शुल्क से अब तक घरेलू उद्योग को सुरक्षा प्रदान की गई है, तथापि यह उस अनुचित व्यापार व्यवहार को रोकने में विफल रहा है जिसकी वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है । अतः शुल्क निर्धारित रूप में अम.डा. में लगाया जाना चाहिए ।

iii. ऐसे कई एसएमई प्रिंटर हैं जिनके पास ''डिजिटल प्लेट्स'' का उपयोग करने के लिए अपेक्षित पूंजीगत उपकरणों में निवेश करने हेतु आवश्यक वित्तीय साधन नहीं हैं । अतः मांग में वर्तमान गिरावट केवल एक अस्थाई चरण है और निकट भविष्य में मांग में वृद्धि होने की आशा है ।

iv. देश का 45 प्रतिशत मुद्रण उद्योग अभी भी प्रिंटिंग प्लेट्स की एलालॉग किस्म (पी एस प्लेट्स) का उपयोग करता है जो घरेलू उद्योग के व्यापार का आधार है । मुद्रण उद्योग की सही अर्थों में भलाई घरेलू उत्पादकों के स्थायित्व को बहाल रखने के लिए पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने में है ।

v. जहां तक डिजिटल प्लेट्स की जांच के दौरान बैंच मार्क कीमत में कमी करने का संबंध है, सविनय निवेदन है कि उस मामले के तथ्य यहां लागू नहीं होते हैं क्योंकि वह पूर्णतः अलग समयावधि में जांच किया गया एक अलग उत्पाद है ।

vi. भारत विश्व भर में एकमात्र ऐसा देश है जहां वैश्विक मानकों और गुणवत्ता की एनालॉग प्लेट्स इतनी कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है । यह बात निर्विवादित है कि तुलनीय गुणवत्ता की संबद्ध वस्तु की कीमत विश्व भर में काफी अधिक रखी जाती है । यदि पी एस प्लेट्स पर शुल्क समाप्त किया जाता है तो टैक्नोवा और अन्य घरेलू उत्पादकों को वास्तविक क्षति जारी रहना लाजिमी है जिसके परिणामस्वरूप वे पी एस प्लेट्स के अपने प्रचालन बंद करने के लिए बाध्य हो सकते हैं । यदि ऐसा होता है तो मुद्रण उद्योग विदेशी उत्पादकों की दया पर निर्भर करेगा जो भारत में कोई घरेलू प्रतिस्पर्धा न होने की जानकारी पाकर कीमतें बढ़ाना चाहेंगे । अतः यह सार्वजनिक एवं मुद्रण उद्योग के दीर्घावधिक हित में होगा कि भारतीय मुद्रण और प्लेट्स क्षेत्रों को मनमानी कीमत से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पीएस प्लेट्स पर शुल्क जारी रखा जाए ।

vii. घरेलू उद्योग के एकाधिकारवादी व्यवहार से संबंधित आरोप निराधार हैं । घरेलू उद्योग ने अत्यंत उचित दरों पर उच्चतम गुणवत्ता के उत्पाद उपलब्ध कराने का हर प्रयास किया है । टैक्नोवा ने अपनी कीमत नीति के बारे में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं और उसे उसकी मूल भावना में कार्यान्वित किया है । किसी भी हालत में प्रतिस्पर्धा आयोग के युग में एकाधिकारवादी व्यवहार का आरोप उचित नहीं है और इसका निर्णायक समीक्षा जांच के प्रचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।

viii. चीन जन.गण. से संबद्ध उत्पाद का आयात अलग–अलग नामों से पाटित कीमतों पर जारी है । इसके अलावा, डिजिटल प्लेट्स और पी एस प्लेट्स एक समान दिखती हैं और पी एस प्लेट्स पर शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पी एस प्लेट्स की आड़ में डिजिटल प्लेट्स का पाटन कराया जा सकता है ।

**उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध**

20. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विविध अनुरोध निम्नानुसार हैं :

i. घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन दायर नहीं किया गया था और इसलिए वर्तमान जांच की शुरूआत कानूनन दोषपूर्ण है ।

ii. टैक्नोवा का देश में संबद्ध उत्पाद पर एकाधिकार है । मुद्रण उद्योग को पी एस प्लेट्स पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के कारण नुकसान हो रहा है और इसे सार्वजनिक हित में समाप्त किया जाना चाहिए ।

iii. घरेलू उद्योग को अम.डा. में लगाए गए संदर्भ कीमत शुल्क से अधिक सुरक्षा प्रदान की गई है । यदि संदर्भ कीमत पर पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाए जाने की जरूरत है तो इसे भारतीय रूपए में लगाया जाना चाहिए न कि अम.डा. में क्योंकि क्षति अवधि के दौरान अम.डा. के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है ।

**प्राधिकारी द्वारा जांच**

21. प्रधिकारी द्वारा विविध अनुरोधों पर निम्नानुसार विचार किया गया है :

i. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन दायर नहीं किया गया था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरूआत पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क(5) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत पुष्टीकृत आवेदन प्रस्तुत करने के बाद की गई थी ।

ii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग को उसकी उत्पादन लागत की तुलना में अम.डा. में लगाए गए संदर्भ कीमत शुल्क के कारण अधिक सुरक्षा प्रदान की गई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा संस्तुत पाटनरोधी उपायों का स्वरूप और मात्रा मामले के तथ्यों पर निर्भर होती है और वह कमतर शुल्क नियम अर्थात पाटन मार्जिन या क्षति मार्जिन, जो भी कम हो, द्वारा शासित होती है ।

iii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि टेक्नोवा का संबद्ध उत्पाद पर एकाधिकार है और प्रिंटर खासकर लघु प्रिंटर पाटनरोधी शुल्क जारी रखे जाने की स्थिति में टेक्नोवा की दया पर निर्भर करेंगे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमों में घरेलू उद्योग की पाटत आयातों से सुरक्षा का लाभ प्रदान करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है जो संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक भी हो सकता है । प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि देश में संबद्ध वस्तु का एक और उत्पादक अर्थात मै0 ओरियन फोटो सेंसिटिव सिस्टम्स है जिसने वर्तमान जांच में अनुरोध किए हैं ।

**च. बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण—कार्य प्रणाली तथा मापदंड**

**घरेलू उद्योग के अनुरोध**

22. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :

i. मूल जांच में लगाए गए शुल्क के बावजूद देश में पाटित आयात संदर्भ कीमत शुल्क की तुलना में काफी कम कीमत पर हो रहे हैं जिससे घरेलू उद्योग पर्याप्त रूप से उबर नहीं सका है । जांच अवधि के लिए चीन जन.गण. हेतु पाटन मार्जिन काफी अधिक है ।

ii. किसी भी निर्यातक ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है । प्राधिकारी को इस जांच के प्रयोजनार्थ चीन को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानना चाहिए और पाटनरोधी नियमावली के पैरा 7, अनुबंध—।। के अनुसार परिकलित लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना चाहिए ।

iii. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि चीन की एनालॉग प्लेट्स का सामान्य मूल्य चीन की सीटीसीपी डिजिटल प्लेट्स के सामान्य मूल्य से अधिक होने की संभावना नहीं है । तथापि, दोनों जांचों में विचारित अवधियों में काफी अंतर है और कच्ची सामग्री की कीमतों में भारी अंतर आया है जिससे यह बात न्यायोचित ठहरती है कि वर्तमान जांच के लिए ली गई कीमत सही है ।

**उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध**

23. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :–

i. आवेदक द्वारा सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की गणना दोषपूर्ण है । चीन से एनालॉग प्लेट्स का सामान्य मूल्य चीन से सीटीसीपी डिजिटल प्लेट्स के सामान्य मूल्य से अधिक होने की संभावना नहीं है ।

ii. विचाराधीन उत्पाद का पाटन वह कारक नहीं है जिससे याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग को परेशानी हो रही है । यह पी एस प्लेट्स के रूप में डिजिटल प्लेट्स की संभावित खेप है जो घरेलू उद्योग को परेशान कर रही है । तथापि, चूंकि पी एस प्लेट्स की गलत घोषणा कर उसका आयात डिजिटल प्लेट्स के रूप में किए जाने के कारण किया जा सकता है। इसलिए यह पी एस प्लेट्स पर पाटनरोधी शुल्क के विस्तार का आधार नहीं बन सकता है ।

**चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य की जांच और उसका निर्धारण**

24. सीमाशुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9 क(1)(ग) के अंतर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है :

"(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः–

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप–धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उप–धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत";

25. चूंकि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और वर्तमान जांच में गैर–बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार का खंडन नहीं किया है, इसलिए प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध–। के पैरा 7 में निर्धारित उपबंधों के आधार पर किया गया है ।

26. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध–। के पैरा 7 में निम्नानुसार उपबंध है :

"गैर– बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिसमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा । जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा । जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी अनुचित विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी। "

27. उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जांच में सामान्य मूल्य का परिकलन प्रमुख कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत, खपत के मानकों, परिवर्तन लागत और सर्वाधिक कुशल घरेलू उद्योग के एसजीए व्यय को ध्यान में रखते हुए किया गया है । तद्नुसार, प्राधिकारी द्वारा परिकलित सामान्य मूल्य का निर्धारण *** अम.डा./किग्रा. के रूप में किया गया है ।

**निर्यात कीमत**

28. चूंकि संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है, इसलिए प्राधिकारी ने समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा और पत्तन हैंडलिंग प्रभारों के कारण स्वीकार्य समायोजन करने के बाद रिकॉर्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर चीन जन.गण. के निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है । प्राधिकारी द्वारा निवल निर्यात कीमत *** अम.डा./किग्रा. के रूप में निर्धारित की गई है ।

**पाटन मार्जिन का निर्धारण**

29. ऊपर यथानिर्धारित कारखाना स्तर पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना करते हुए प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :

| सामान्य मूल्य अम.डा./कि.ग्रा. | निर्यात कीमत अम.डा./कि.ग्रा. | पाटन मार्जिन अम.डा./कि.ग्रा. | पाटन मार्जिन % | पाटन मार्जिन % रेंज |
|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | 10-20 |

**छ. क्षति निर्धारण की कार्य प्रणाली और क्षति तथा कारणात्मक संबंध की जांच**

**घरेलू उद्योग के अनुरोध**

30. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :–

i. आयातकों का यह दावा निराधार है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त लागत संबंधी सूचना अविश्वसनीय है ।

ii. यद्यपि, चीन से आयातों की मात्रा में कमी आई है, तथापि, भारत में ये आयात अत्यधिक पाटित कीमतों पर जारी है और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है ।

iii. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा होने के कारण प्राधिकारी के लिए अकेली क्षति पर गौर करना अपेक्षित नहीं है बल्कि इस संदर्भ को देखना अपेक्षित है कि क्या घरेलू उद्योग के निष्पादन में इतना अधिक सुधार हुआ है जिससे शुल्क को पूर्णतः समाप्त करना अपेक्षित बन गया है । घरेलू उद्योग की हालत अभी भी अत्यंत अस्थिर है । शुल्क हटाए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग पाटित आयातों में अनिवार्य वृद्धि के लिए सुभेद्य बन जाएगा ।

iv. यद्यपि, क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान मांग में कमी आई है, तथापि, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में मामूली वृद्धि हुई है ।

v. घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद की समूची घरेलू मांग को पूरा करने में सक्षम है । तथापि, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के निर्बाध पाटन के कारण घरेलू उद्योग अपने उत्पादन की बिक्री करने में असमर्थ है जिससे उसे सतत वास्तविक क्षति हो रही है ।

vi. जांच अवधि तक कीमत में सकारात्मक कटौती हुई है और जांचोत्तर अवधि में कीमत का अत्यधिक न्यूनीकरण हुआ है क्योंकि घरेलू उद्योग के पास अपना उत्पाद बेचने के लिए अपनी कीमतें कम करने के अलावा, कोई चारा नहीं था ।

vii. चीन से आयातों में गिरावट आने के बावजूद कम कीमतों की वजह से बिक्री में कमी जारी रही और इसलिए संबद्ध वस्तु का उत्पादन कम हुआ जिससे क्षमता का उपयोग कम हुआ जिसकी वजह से क्षति अवधि से लेकर जांचोत्तर अवधि के दौरान उसमें लगभग 25 प्रतिशत की गिरावट आई है ।

viii. चीन से भारत में होने वाले आयातों की कीमतें कम होने के कारण घरेलू उद्योग लाभकारी कीमतों पर बिक्री करने में असमर्थ है जिससे बिक्री मात्रा में गिरावट आई है ।

ix. यद्यपि, लाभ एवं आरओसीई में मामूली सुधार हुआ है, तथापि, यह पाटित आयातों की वजह से घरेलू उद्योग की बनी नाजुक स्थिति के कारण अत्यंत अस्थायी बना हुआ है ।

x. प्रति इकाई उत्पादन के रूप में रोजगार और मजदूरी दोनों में वृद्धि हुई है ।

xi. जिन कारकों से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, वे आयातों की मात्रा और देश में आयातित वस्तु की कीमत, दोनों हैं ।

xii. यदि, आयात वर्तमान पाटन मार्जिन स्तर पर देश में जारी रहेंगे तो घरेलू उद्योग को क्षति और अधिक गंभीर होने की संभावना है ।

xiii. अपना बाजार हिस्सा बनाए रखने के लिए घरेलू उद्योग निर्यातकों द्वार उद्धृत कीमत की बराबरी करने के लिए बाध्य हुआ है । मूल जांच में हितबद्ध पक्षकारों का कथन यह था कि घरेलू उद्योग को समूची क्षति केवल बाजार का रूख

डिजिटल प्लेट्स की ओर होने के कारण हो रही है । यद्यपि, घरेलू उद्योग ने हमेशा यह स्वीकार किया है कि ऐसा परिवर्तन मौजूद है । तथापि, यह बात विवाद रहित है कि घरेलू उद्योग को क्षति कम कीमत पर हुए आयातों के कारण हुई है ।

xiv. मूल शुल्क की सिफारिश किए जाने के समय बाजार का लगभग 90 प्रतिशत भाग पर एनालॉग प्लेट्स का आधिपत्य था । अतः मूल जांच में डिजिटल प्लेट्स द्वारा क्षति होने की कोई प्रश्न नहीं था । लगभग 45 प्रतिशत भारतीय मुद्रण उद्योग अभी भी एनालॉग प्लेट्स का उपयोग करता है ।

xv. रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग न केवल क्षति रहित कीमत पर बिक्री करने में समर्थ है अपितु यह कि यदि शुल्क समाप्त किया जाता है तो घरेलू उद्योग अपनी वर्तमान मामूली लाभकारी कीमत को बनाए रखने में भी समर्थ नहीं होगा ।

xvi. यह एक सुविदित तथ्य है कि कुछेक डिजिटल प्लेट्स की स्थापनाओं का उपयोग पी एस प्लेट्स के उत्पादन हेतु भी किया जा सकता है । कथित रूप से गलत क्षमताओं पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत समूची गणना में उपर्युक्त को हिसाब में नहीं लिया गया है।

**<u>उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध</u>**

31. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :–

i. प्रौद्योगिकी और खपत की पद्धति में परिवर्तन होने के कारण देश में उत्पाद की मांग में तेजी से गिरावट (22 प्रतिशत की) आई है परंतु जांच अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है । इस प्रकार यह एक स्पष्ट स्थिति है जिसमें घरेलू उद्योग ने मांग में आई गिरावट की तुलना में कम बिक्रियां गंवाई हैं ।

ii. मूल जांच के समय हितबद्ध पक्षकारों ने यह पुरजोर तर्क दिया था कि खपत की पद्धति में परिवर्तन और उत्पाद की मांग में गिरावट डिजिटल प्लेट की खोज के मद्देनजर घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण था । हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क को भी अस्वीकृत कर दिया गया था कि डिजिटल प्लेट के कारण एनालॉग प्लेट पर कीमत दबाव पड़ रहा है । घरेलू उद्योग ने अब इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है जिसका तर्क उक्त जांच में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिया गया था ।

iii. कीमत कटौती की गणनाएं उन सभी समायोजनों को करने के बाद की जानी चाहिए जो निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा डिजिटल प्लेट मामले में किए गए थे । ये समायोजन किए जाने के बाद वर्तमान मामले में कीमत कटौती संभवतः नकारात्मक बन जाएगी ।

iv. कम कीमत पर बिक्री के कम स्तर की परिणति नकारात्मक क्षति मार्जिन और संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से क्षति के अभाव के रूप में हो सकती है ।

v. याचिकाकर्ता की निर्धारित लागत काफी अधिक है जिसका प्रभाव डिजिटल प्लेट की नई उत्पादन लाइन पर उत्पादन के वाणिज्यीकरण के बाद कम हुआ है ।

vi. डिजिटल प्लेट से संबंधित जांचों में याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया है कि उसकी उत्पादन क्षमताओं से डिजिटल तथा एनालॉग प्लेट का उत्पादन हो सकता है । तथापि, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने मांग में गिरावट आने के बावजूद अन्य उत्पादों का उत्पादन करने के लिए अपनी उत्पादन क्षमताओं का उपयोग नहीं किया है । अतः यह स्पष्ट स्थिति बनती है जिसमें याचिकाकर्ता को मांग में गिरावट के कारण भारी क्षति हो रही है। भविष्य में ऐसी मांग में आगे और गिरावट आने की आशा है । आयातों के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के बीच कोई सह संबंध नहीं है ।

vii. याचिकाकर्ता ने सुनवाई के समय यह स्वीकार किया था कि परिवर्तन लागत बमुश्किल 20–25 प्रतिशत है जबकि याचिका में दावा यह किया गया है कि परिवर्तन लागत उत्पादन की कुल लागत की 35 प्रतिशत बनती है । इस प्रकार इससे एक ओर दावों के विरोधाभास और दूसरी ओर याचिका में अत्यधिक सामान्य मूल्य का उल्लेख किए जाने की स्पष्ट रूप से पुष्टि होती है ।

viii. अम. डॉ. के मूल्य में हुई अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप संबद्ध वस्तु के आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि हुई है । अम.डॉ. के मूल्य में हुई इस वृद्धि से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि कच्ची सामग्री की कीमत में

भारी गिरावट आई है । अतः घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है और पाटनरोधी शुल्क जारी रखना न्यायोचित नहीं है ।

ix. टेक्नोवा की वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार, उसकी लाभप्रदता में अत्यधिक सुधार हुआ है ।

x. डिजिटल प्लेट्स पी एस प्लेट्स की तुलना में अधिक महंगी हैं और इसलिए पी एस प्लेट्स पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पी एस प्लेट्स की आड़ में डिजिटल प्लेट्स का पाटन नहीं किया जा सकता ।

xi. अब जब पी एस प्लेट्स की मांग घट रही है, टेक्नोवा ने डिजिटल प्लेट्स के उत्पादन हेतु मौजूदा सुविधाओं का उपयोग शुरू नहीं किया है । टेक्नोवा संयंत्र का कम उपयोग करने के लिए मजबूर है । पी एस प्लेट्स की खपत पद्धति में परिवर्तन और उसकी वजह से टेक्नोवा को हो रही क्षति के लिए उपभोक्ताओं को दंडित नहीं किया जा सकता ।

xii. टेक्नोवा ने यह दावा किया है कि वह ईष्टतम से कम स्तर पर प्रचालन करने के लिए बाध्य हुई है जो मांग में गिरावट के कारण हुआ है क्योंकि ऐसा ही उद्योग ने भी स्वीकार किया है । ऐसा पाटन के कारण नहीं हुआ है ।

xiii. टेक्नोवा की क्षमता देश में पी एस प्लेट्स की मांग से काफी अधिक है जिससे क्षमताओं का कम उपयोग हुआ है ।

xiv. आयातों की पहुंच कीमत और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के बीच कोई सह संबंध मौजूद नहीं है । आयातों की पहुंच कीमत में वर्ष 2009–10 में गिरावट प्रदर्शित होती है और इस अवधि में टेक्नोवा की लाभप्रदता में सुधार प्रदर्शित होता है ।

xv. लगाई गई पूंजी पर आय में सुधार हुआ है, जैसा कि टेक्नोवा द्वारा स्वीकार किया गया है।

xvi. यह तर्क देते समय कि सीआईएफ कीमत संदर्भ कीमत से काफी कम है, जिस तथ्य की अनदेखी की गई है, वह यह है कि संदर्भ कीमत भारित आधार (किग्रा.में) में थी जबकि आयातों की पहुंच कीमत वर्गमीटर में है ।

xvii. संदर्भ कीमत और आयातों की पहुंच कीमत के बीच कोई अंतर नहीं है जैसा कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है ।

xviii. घरेलू उद्योग द्वारा बाजार हानि मांग में गिरावट की तुलना में कम है । इसके अलावा, घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का उपयोग करने की स्थिति में नहीं होगा क्योंकि वह अब देश में उत्पाद की मांग से अधिक है ।

xix. कीमत कटौती नकारात्मक है । आयात उन व्यापारियों द्वारा किए जा रहे हैं जो भारतीय बाजार में उत्पाद की पुनः बिक्री कर रहे हैं । चूंकि आयात व्यापारियों द्वारा किए जाते हैं और घरेलू उद्योग सीधे अंतिम उपभोक्ताओं को बिक्री करता है, इसलिए तुलना दोषपूर्ण है।

xx. घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में मांग में आई गिरावट की तुलना में कम गिरावट आई है। वस्तुतः घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है । इससे इस बात की स्पष्ट पुष्टि होती है कि घरेलू उद्योग हेतु बिक्री मात्रा में गिरावट मांग में कमी के कारण आई है न कि पाटन के कारण ।

xxi. उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट मांग में गिरावट का एक नैसर्गिक परिणाम है । यदि मांग में गिरावट आती है और यदि इससे उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग में गिरावट आती है तो इसका दोष आयातों को नहीं दिया जा सकता ।

xxii. घरेलू उद्योग की उच्च उत्पादन लागत पी एस प्लेट्स पर डाले गए डिजिटल प्लेट के व्यय के कारण आई है और घरेलू उद्योग मांग में गिरावट के कारण क्षमता उपयोग में भारी गिरावट का सामना कर रहा है । चूंकि मांग में गिरावट आई है, इसलिए याचिकाकर्ता को अत्यधिक निर्धारित लागत का नुकसान हो रहा है ।

xxiii. मांग में गिरावट आने के कारण घरेलू उद्योग की तुलना में भारतीय बाजार में आयातों की आनुपातिक रूप से अधिक बिक्री नहीं हुई है जैसी कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में हुई वृद्धि और आयातों के बाजार हिस्से में आई गिरावट से स्पष्टतः पुष्टि होती है ।

xxiv. चूंकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है, इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि उपभोक्ताओं ने घरेलू स्रोत के बजाए आयात स्रोत का उत्तरोत्तर सहारा नहीं लिया है । परवर्ती स्थिति में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई होती ।

xxv. चीन के निर्यातकों द्वारा किसी छूट का भुगतान नहीं किया जा रहा है । टेक्नोवा का आरोप अपुष्टिकृत है ।

xxvi. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में गिरावट आयात मात्रा में आई गिरावट की तुलना में कम है । इससे इस बात का स्पष्ट पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने आयातों की तुलना में आनुपातिक रूप से अपनी बिक्री मात्रा को कम गंवाया है । इसके अलावा, चूंकि आयातों में घरेलू बिक्री की तुलना में अधिक गिरावट आई है, इसलिए इससे यह स्पष्ट होता है कि घरेलू बिक्री में गिरावट आयातों के कारण नहीं आई है ।

xxvii. घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में गिरावट मांग में आई गिरावट की तुलना में कम आई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वस्तुतः वृद्धि हुई है इससे इस बात की स्पष्ट पुष्टि होती है कि घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में गिरावट मांग में आई कमी के कारण आई है न कि पाटन के कारण

**प्राधिकारी द्वारा जांच**

32. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस संबंध में किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए प्राधिकारी संबद्ध देश से हुए आयातों के कारण पाटन एवं क्षति के संभावना संबंधी पहलुओं की जांच करने से पूर्व घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच करने की कार्रवाई शुरू करते हैं । हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण में स्वतः समाधान हो जाता है ।

33. अनुबंध–।। के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम–11 में यह उपबंध है कि ''किसी क्षति जांच में''... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ...'' ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो । कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा प्रयाप्त स्तर तक बढ़ गई होती । ''

34. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों पर उपर्युक्त नियमावली के अनुबंध–।। के अनुसार विचार किया गया है ।

35. वर्तमान जांच लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है । नियम 23 में यह उपबंध है कि नियम 11 के उपबंध समीक्षा के मामले में भी आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे । अतः प्राधिकारी ने अनुबंध–।। के साथ पठित नियम 11 के उपबंधों पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ विचार करते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण किया है । इसके अलावा, चूंकि विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है, अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच करते समय संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क पर विचार करना अपेक्षित है । प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या मौजूदा उपाय क्षति पहुंचाने वाले पाटन को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं ।

36. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9(क)(5) के अनुसार लगाया गया पाटनरोधी शुल्क जब तक उसे समाप्त न किया जाए, इस प्रकार से लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा, परंतु यदि किसी समीक्षा में केन्द्र सरकार का यह मत हो कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह इस प्रकार से लगाए गए शुल्क की अवधि को आगे और 5 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है और आगे की ऐसी अवधि इस प्रकार के समय विस्तार के आदेश की तारीख से शुरू होगी ।

37. वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के मात्रात्मक और कीमत प्रभावों तथा कीमतों पर कीमतों और लाभप्रदता पर उसके प्रभाव की जांच की है ताकि क्षति एवं पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध, यदि कोई हो, की जांच की जा सके । तद्नुसार, पाटित आयातों की मात्रा और कीमत प्रभाव की जांच निम्नानुसार की गई है ।

**मात्रात्मक प्रभाव**

38. पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर उसके प्रभाव की जांच निम्नानुसार की गई है।

**मांग और बाजार हिस्सा**

39. प्राधिकारी ने देश में उत्पाद की मांग या प्रत्यक्ष खपत का निर्धारण भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री तथा सभी स्रोतों से हुए आयातों की मात्रा के रूप में किया है । इस प्रकार से निर्धारित मांग निम्नलिखित तालिका में देखी जा सकती है :

| मांग | माप की इकाई | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 (जांच अवधि) |
|---|---|---|---|---|---|
| घरेलू उद्योग की बिक्री | मिलियन किग्रा. | 7.59 | 7.80 | 7.24 | 6.15 |
| संबद्ध देश–अयात | मिलियन किग्रा. | 1.45 | 1.42 | 1.12 | 0.95 |
| अन्य देश–आयात | मिलियन किग्रा. | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| कुल मांग | मिलियन किग्रा. | 1.56 | 1.45 | 1.14 | 1.00 |
| कुल मांग/खपत | मिलियन किग्रा. | 9.15 | 9.26 | 8.39 | 7.15 |
| मांग में बाजार हिस्सा | | | | | |
| ➢ घरेलू उद्योग | % | 83% | 84% | 86% | 86% |
| ➢ संबद्ध देश | % | 16% | 15% | 13% | 13% |
| ➢ अन्य देश | | 1% | 0% | 0% | 1% |
| ➢ कुल | % | 100% | 100% | 100% | 100% |

प्राधिकारी नोट करते हैं कि तत्काल पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट प्रदर्शित होती है । इसी प्रकार पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों में गिरावट आई । प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष और आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की मांग में गिरावट आई । प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान यद्यपि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई तथापि, संबद्ध देश के बाजार हिस्से में गिरावट आई है ।

**आयात मात्रा और बाजार हिस्सा**

40. जहां तक पाटित आयातों की मात्रा का संबंध है, प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हुई है ।

| विवरण | इकाई | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 (जांच अवधि) |
|---|---|---|---|---|---|
| चीन जन.गण. से आयात | मिलियन किग्रा. | 1.45 | 1.42 | 1.12 | 0.95 |
| कुल आयात | मिलियन किग्रा. | 1.56 | 1.45 | 1.14 | 1.00 |
| घरेलू उद्योग का उत्पादन | मिलियन किग्रा. | 9.76 | 10.04 | 9.63 | 8.35 |
| निम्नलिखित की तुलना में चीन से हुए आयातों का हिस्सा: | | | | | |
| भारत को कुल आयात | % | 93 | 98 | 98 | 95 |
| भारत में मांग | % | 16 | 15 | 13 | 13 |
| घरेलू उद्योग का उत्पादन | % | 15 | 14 | 12 | 11 |

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि समूची क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा में लगातार गिरावट आई है । तथापि, घरेलू उद्योग के पास समूची घरेलू मांग को पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद भारतीय बाजार में संबद्ध देश से हुए आयातों का हिस्सा काफी अधिक बना हुआ है ।

**उत्पादन, क्षमता एवं क्षमता उपयोग**

42. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के कुछ संयंत्रों में पी एस प्लेट्स (विचाराधीन उत्पाद) और डिजिटल प्लेट्स (गैर–विचाराधीन उत्पाद) की विनिर्माण करने की क्षमता है । अतः प्राधिकारी ने वर्तमान विश्लेषण में समग्र क्षमता और क्षमता उपयोग पर विचार किया है । नीचे दी गई तालिका के अनुसार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में

जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन तथा क्षमता उपयोग में अत्यधिक गिरावट आई है । तथापि, अदल–बदल कर प्रयोग की जाने वाली एनालोगस और डिजिटल प्लेट्स हेतु घरेलू उद्योग की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता ।

| **विवरण** | **इकाई** | **2008-09** | **2009-10** | **2010-11** | **(2011-12) जांच अवधि** |
|---|---|---|---|---|---|
| स्थापित क्षमता (संयंत्र) | मिलियन किग्रा. | 24.56 | 24.56 | 24.56 | 24.56 |
| प्रवृत्ति | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| संबद्ध उत्पाद का उत्पादन | मिलियन किग्रा. | 9.76 | 10.04 | 9.63 | 8.35 |
| प्रवृत्ति | | 100 | 103 | 99 | 86 |
| गैर–विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन | मिलियन किग्रा. | 3.98 | 7.67 | 12.46 | 11.55 |
| प्रवृत्ति | | 100 | 193 | 313 | 290 |
| क्षमता उपयोग (संयंत्र) | % | 56% | 72% | 90% | 81% |
| प्रवृत्ति | | 100 | 129 | 161 | 145 |

**घरेलू उद्योग की बिक्री**

43. घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा का उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है :

| **विवरण** | **इकाई** | **2008-09** | **2009-10** | **2010-11** | **जांच अवधि** |
|---|---|---|---|---|---|
| घरेलू बिक्री | मिलियन किग्रा. | 7.59 | 7.80 | 7.24 | 6.15 |
| सूचीबद्ध | | 100 | 103 | 95 | 81 |

44. घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष और आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान गिरावट प्रदर्शित होती है ।

**कीमत प्रभाव**

45. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण के संदर्भ में की गई है । इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देश से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है । जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के लिए तुलना पाटित आयातों के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत के बीच की गई है । घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति का निर्धारण करने में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित करों, रिबेट, छूट और कमीशन का समायोजन किया गया है । कम कीमत पर बिक्री क्षति निर्धारण का एक महत्वपूर्ण कारक है, इसलिए प्राधिकारी ने क्षति रहित कीमत निकाली है और कम कीमत पर बिक्री की मात्रा की गणना करने के लिए उसकी तुलना पहुंच मूल्य के साथ की है । घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का मूल्यांकन जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत पर समुचित विचार करते हुए किया गया है । पाटित आयातों के कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव की जांच निम्नानुसार की गई है :–

**कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री**

46. कीमत कटौती/कम कीमत पर बिक्री के प्रभावों की जांच निम्नानुसार की गई है :

**कीमत कटौती**

| **विवरण** | **इकाई** | **2008-09** | **2009-10** | **2010-11** | **2011-12 (जांच अवधि)** |
|---|---|---|---|---|---|
| निवल बिक्री प्राप्ति | रु./किग्रा. | *** | *** | *** | *** |
| | प्रवृत्ति | 100 | 102 | 101 | 99 |
| पाटनरोधी शुल्क रहित आयातों का पहुंच मूल्य | रु./किग्रा. | *** | *** | *** | *** |

| विवरण | इकाई | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 (जांच अवधि) |
|---|---|---|---|---|---|
| | प्रवृत्ति | 100 | 92 | 102 | 103 |
| पाटनरोधी शुल्क रहित कम कीमत पर बिक्री | रु./किग्रा. | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 281 | 77 | 132 |
| प्रतिशतता | % | *** | *** | *** | *** |
| | % रेंज | 0-10 | 10-20 | 0-10 | 0-10 |

प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान कीमत कटौती सकारात्मक थी ।

**कम कीमत पर बिक्री**

कम कीमत पर बिक्री के प्रभाव का निर्धारण करने में प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग की क्षति रहित बिक्री कीमत के साथ की है और इस बारे में जांच अवधि के दौरान प्रवृत्तियों का सारांश निम्नानुसार है :

| विवरण | रु./किग्रा. | 2011-12 (जांच अवधि) |
|---|---|---|
| क्षति रहित कीमत | रु./किग्रा. | *** |
| पाटनरोधी शुल्क के बिना आयातों का पहुंच मूल्य | रु./किग्रा. | *** |
| पाटनरोधी शुल्क रहित कम कीमत पर बिक्री | रु./किग्रा. | *** |
| पाटनरोधी शुल्क रहित कम कीमत पर बिक्री : | % | *** |
| पाटनरोधी शुल्क रहित कम कीमत पर बिक्री | % रेंज | 0-10 |

प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान कम कीमत पर बिक्री का प्रभाव सकारात्मक है ।

**पाटित आयातों का कीमत ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव**

47. घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के कीमत ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभावों की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना उत्पादन लागत के साथ की गई है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि को छोड़कर क्षति अवधि के दौरान कीमत ह्रास/न्यूनीकरण का कोई साक्ष्य नहीं है, घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में अत्यधिक कमी आने के बावजूद अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में समर्थ था ।

| विवरण | इकाई | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | जांच अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| उत्पादन की लागत | रु./किग्रा. | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 91 | 90 | 96 |
| निवल बिक्री कीमत | रु./किग्रा. | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 102 | 101 | 99 |

**अन्य क्षति मापदंडों की जांच**

48. घरेलू उद्योग की मात्रा और कीमत पर पाटित आयातों के प्रभाव तथा आयातों की मात्रा एवं मूल्य, घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री के साथ–साथ विभिन्न खंडों के बाजार हिस्से के साथ मांग की पद्धति जैसे क्षति के प्रमुख संकेतकों की जांच करने के बाद जिन अन्य आर्थिक मापदंडों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति की मौजूदगी का पता चल सकता है उनका विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है :

**लाभ/हानि, निवेश पर आय और नकद प्रवाह**

49. निवेश पर आय/ब्याज पूर्व एवं पश्चात् लाभ/हानि तथा नकद लाभ को निम्नलिखित तालिकाओं में दर्शाया गया है :

| विवरण | इकाई | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | जांच अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| उत्पादन की लागत | रु./किग्रा. | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 91 | 90 | 96 |
| निवल बिक्री कीमत | रु./किग्रा. | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 102 | 101 | 99 |
| लाभ/हानि | रु./किग्रा. | (***) | (***) | (***) | (***) |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | (100) | (14) | (19) | (41) |
| लाभ/हानि | लाख रुपए | (***) | (***) | (***) | (***) |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | (100) | (14) | (18) | (33) |
| ब्याज पूर्व लाभ | लाख रुपए | (***) | *** | (***) | (***) |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | (100) | 21 | (4) | (31) |
| नकद लाभ | लाख रुपए | (***) | (***) | (***) | (***) |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | (100) | (2) | (10) | (29) |
| लगाई गई पूंजी पर आय | % | (***) | *** | (***) | (***) |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | (100) | 22 | (5) | (36) |

उपर्युक्त तालिका से प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और निवल बिक्री प्राप्ति में गिरावट आई है । तथापि, समूची क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभ की स्थिति नकारात्मक रही है ।

**मालसूची**

50. निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों से यह पता चलता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति में कमी आई है ।

| विवरण | इकाई | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | जांच अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| औसत स्टॉक | मिलियन किग्रा. | 0.60 | 0.42 | 0.31 | 0.33 |
| औसत स्टॉक | सूचीबद्ध | 100 | 70 | 52 | 55 |

**रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता**

51. निम्नलिखित तालिका में दी गई सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान राजगार, मजदूरी और उत्पादकता में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है ।

| विवरण | इकाई | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | जांच अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| सूचीबद्ध | संख्या | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 100 | 106 | 106 |
| मजदूरी | लाख रुपए | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 107 | 123 | 107 |

**पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता**

52. पाटन की स्थिति में पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रासंगिक नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग एक बहु–उत्पाद उद्योग है ।

**वृद्धि**

53. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों, खासकर उत्पादन और घरेलू बिक्री में नकारात्मक वृद्धि का पता चलता है । इसी प्रकार, आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान कीमत मापदंडों में भी नकारात्मक वृद्धि का पता चलता है । प्राधिकारी द्वारा इसे घटती हुई मांग के संदर्भ में नोट किया गया है । पाटनरोधी शुल्क के बावजूद पाटन जारी है और पाटन मार्जिन सकारात्मक बना हुआ है जो घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारक है ।

**पाटन मार्जिन की मात्रा**

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों का पाटन मार्जिन सकारात्मक है ।

**ज. अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संबंध**

**घरेलू उद्योग के अनुरोध**

55. कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद की बिक्री अपेक्षित मात्रा में करने में समर्थ नहीं रहा है और इसलिए उसके पास जांच अवधि तथा जांचोत्तर अवधि में स्टॉक जमा हो गया है । घरेलू उद्योग के पास देश में समूची मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और इसलिए सामग्री की उपलब्धता भी कोई बाधा नहीं है । डिलीवरी की समस्याएं भी लगभग नहीं हैं । इस प्रकार, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद का उपयोग करने के लिए बाजारी स्थितियां अनुकूल हैं, फिर भी घरेलू उद्योग इष्टतम क्षमता पर प्रचालन नहीं कर रहा है । ऐसी स्थिति में केवल देश में अत्यधिक कम कीमतों पर आ रहे पाटित आयातों के कारण उत्पन्न हुई है ।

ii. वर्ष 2007 में शुल्क लगाए जाने के बाद प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो ।

iii. भारतीय मुद्रण उद्योग में एनालॉग से डिजिटल प्लेटों में परिवर्तन काफी धीमा रहा है और इसमें कई और वर्ष लगने की संभावना है । कई मौजूदा तथा नए मुद्रण प्रतिष्ठान ''एनालॉग प्लेट्स'' का उपयोग जारी रखेंगे । तद्नुसार, अगले 3 से 5 वर्षों में भारत में एनालॉग प्लेट्स के बाजार का आकार भी बढ़ेगा । अतः मांग में वर्तमान गिरावट केवल एक अस्थायी चरण है और मांग में निकट भविष्य में वृद्धि होने की आशा है ।

iv. वर्ष 2011—12 में एनलॉग प्लेट्स की मांग 9.52 मिलि. वर्ग मीटर की रही थी । इसमें मामूली गिरावट आने और अल्पावधि में यह 8.50 मिलि. वर्ग मीटर से 9.00 मिलि. वर्ग मीटर के आस—पास स्थिर रहने की संभावना है । बाजार आकार के इस स्तर से कम होने की आशा नहीं है ।

v. एनालॉग तथा डिजिटल प्लेट्स की मांग पर ध्यान दिए बिना चीन से सतत पाटित आयातों का कोई औचित्य नहीं है । यदि शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तो पाटन की पुनरावृत्ति होने की स्पष्ट संभावना है क्योंकि आयात संदर्भ कीमत से काफी कम पर हो रहे हैं जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो रही है ।

vi. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान मांग में गिरावट आई है । तथापि, इस तथ्य के बावजूद कि मांग और आयातों में गिरावट आई है, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में मामूली वृद्धि ही हुई है । इसके अलावा, चूंकि मांग में गिरावट आई है इसलिए अब यह घरेलू उद्योग द्वारा धारित उत्पाद की कुल क्षमता से कम है ।

vii. यद्यपि, मांग में गिरावट आई है, तथापि निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए केवल यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि घरेलू उद्योग को क्षति ऐसी गिरावट के परिणामस्वरूप हुई है जिसका कारण पाटित आयात नहीं है । हितबद्ध पक्षकार जो अर्थ निकालने का प्रयास कर रहे हैं, वह यह है कि चूंकि मांग में गिरावट आई है, इसलिए समूची क्षति का कारण इसे ही माना जाना चाहिए । केवल एक अन्य कारक, जो क्षति के लिए मामूली रूप से जिम्मेवार हो सकता है, की वजह से यह अर्थ नहीं निकलता है कि पाटित आयातों के कारण क्षति नहीं हुई है । घरेलू उद्योग को अभी भी कीमत संबंधी भारी क्षति हो रही है जिसका मांग में गिरावट से कोई लेना—देना नहीं है । अतः हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि घटती हुई मांग से सतत वास्तविक क्षति हुई है, निराधार और अस्वीकार्य है ।

**उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

56. कारणात्मक संबंध के बारे मे विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :—

i. घरेलू उद्योग को क्षति का वास्तविक कारण पी एस प्लेट्स की उसकी बेशी क्षमता तथा मांग में गिरावट है । पी एस प्लेट्स की मांग में तेजी से गिरावट आई है और देश में डिजिटल प्लेटों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है । क्षति का कारण यही है न कि पाटित आयात, जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है ।

ii. याचिकाकर्ताओं का पहले लगभग 100 प्रतिशत व्यापार अनालॉग प्लेट का था जो अब जाहिर तौर पर घटकर कुल व्यापार का 45 प्रतिशत रह गया है । यह एक स्वीकृत स्थिति है कि खपत की पद्धति अत्यधिक बदलकर एनालॉग से डिजिटल प्लेट की हो गई है जिसके परिणामस्वरूप विचाराधीन उत्पाद की मांग में भारी गिरावट आई है । अतः कंपनी के निष्पादन में आई गिरावट और देश में उत्पाद के हुए आयातों के बीच कोई सकारात्मक संबंध नहीं है ।

iii. टेक्नोवा ने पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद वर्ष 2008–09 में वित्तीय घाटा होने का दावा किया है । इससे यह पता चलता है कि टेक्नोवा को क्षति अन्य कारकों से हुई है न कि आयातों के कारण ।

iv. आयात कीमतों और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के बीच कोई सह–संबंध नहीं है । सामान्य मूल्य और परिणामतः पाटन मार्जिन में भारी गिरावट आई है । जब सामान्य मूल्य में अत्यधिक गिरावट आई है तब निर्यात कीमत में ऐसी वास्तविक गिरावट प्रदर्शित नहीं हुई है अतः पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन की कोई संभावना नहीं है ।

**प्राधिकारी द्वारा जांच**

57. अधिनियम की धारा 9क (5) के अंतर्गत प्राधिकारी के लिए पाटन एवं क्षति की संभावना तथा शुल्क जारी रहने की जरूरत की जांच करना अपेक्षित होता है । इस बात के होते हुए भी प्राधिकारी ने निम्नानुसार यह जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है :

i. **तीसरे देशों से आयात** :– अन्य देशों से संबद्ध वस्तु का आयात या तो न्यूनतम सीमा से कम है या आयात कीमत अधिक है । अतः किसी अन्य देश से हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है ।

ii. **मांग में कमी तथा खपत की पद्धति** :– मुद्रण उद्योग के आधुनिकीकरण में डिजिटल प्लेट की खोज आगे का एक कदम है । मुद्रण क्षेत्र में गुणवत्ता और मांग की मात्रा की तेजी से पूर्ति डिजिटल प्लेट्स द्वारा की जा रही है जिससे एनालॉग प्लेट्स की मांग में गिरावट आई है । परंतु ''एनालॉग'' प्लेट्स के स्थान पर ''डिजिटल'' प्लेट्स का प्रयोग करने में आने वाली उच्च लागत के कारण छोटे प्रिंट एनालॉग प्लेट्स का प्रयोग कर रहे हैं । उपभोक्ताओं द्वारा डिजिटल प्लेट्स का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा देश में एनालॉग प्लेट्स की मांग में उतनी ही अधिक कमी आएगी । तथापि, घरेलू बाजार में एनालॉग प्लेट्स की मांग अभी भी काफी अधिक है ।

iii. **प्रतिस्पर्धा की स्थितियां** :– प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच से यह पता नहीं चला है कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियां अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति के लिए जिम्मेवार हैं ।

iv. **प्रौद्योगिकी विकास** :– प्राधिकारी नोट करते हैं कि डिजिटल प्लेट्स की खोज मुद्रण प्रौद्योगिकी में एक प्रौद्योगिकीय विकास है जिससे एनालॉग प्लेट्स की मांग पर प्रभाव पड़ा है । परंतु डिजिटल प्लेट्स की खोज के घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए अकेले दोषी नहीं माना जा सकता ।

v. **निर्यात निष्पादन** :– घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तु की निर्यात बिक्री भी की है । तथापि, क्षति विश्लेषण घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन को शामिल किए बिना किया गया है ।

**संभावना का विश्लेषण**

**घरेलू उद्योग के अनुरोध**

58. पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के बारे में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :–

i. पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से अत्यंत कम कीमतों पर पी एस प्लेट्स के आयातों को बढ़ावा मिलेगा और उनमें वृद्धि होगी जिससे घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय क्षति हुई है ।

ii. चूंकि किसी भी निर्यातक या आयातक ने वर्तमान जांच में अपेक्षित प्रश्नावलियां दायर नहीं की हैं और चूंकि निर्यातकों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की कोई संभावना नहीं

है, इसलिए प्राधिकारी को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि सतत पाटित आयातों और घरेलू उद्योग की नाजुक स्थिति को ध्यान में रखते हुए शुल्क को जारी रखा जाना चाहिए ।

iii. पूर्व में भारत को एनालॉग प्लेट्स का निर्यात सीटीसीपी प्लेट्स के वर्गीकरण के अंतर्गत किया जाता था ताकि पी एस प्लेट्स पर शुल्क से बचा जा सके । चूंकि अब सी टी सी पी प्लेट्स पर भी शुल्क लागू है, इसलिए एनालॉग प्लेट्स पर शुल्क हटाए जाने से सीटीसीपी प्लेट्स पर शुल्क का अपवंचन करने के लिए एनालॉग प्लेट्स के वर्गीकरण और विवरण के अंतर्गत सीटीसीपी प्लेट्स का निर्यात किया जाएगा ।

iv. घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध बाजार सूचना के अनुसार चीन.जन.गण. में अत्यधिक बेशी एवं अप्रयुक्त क्षमता उपलब्ध है जो भारत में कुल घरेलू मांग की तुलना में अधिक है । इस बात की प्रबल संभावना है कि मौजूदा शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में बेशी क्षमता का उपयोग और अधिक उत्पाद कर अतिरिक्त उत्पादन को भारत में भेजने के लिए किया जाएगा ।

v. इसके अलावा, इन बेशी क्षमताओं को भारतीय तथा अन्य एशियाई बाजारों पर केन्द्रित किया जाना अवश्यंभावी है क्योंकि यूरोप तथा अमरीका के अधिकांश बाजारों ने पहले से ही डिजिटल प्लेट्स का प्रयोग शुरू कर दिया है और उन देशों में पी एस (एनालॉग) प्लेट्स की कोई मांग नहीं है ।

vi. चीन से एनालॉग प्लेट्स के आयातों पर ब्राजील और तुर्की जैसे देशों में पाटनरोधी शुल्क लागू है । वस्तुतः ब्राजील ने यह निर्धारित करने के लिए एक निर्णायक समीक्षा पहले ही शुरू कर दी है कि क्या चीन से आयातों पर शुल्क जारी रखा जाए या नहीं । यह नोट करना प्रासंगिक है कि ये शुल्क लागू रहने के कारण भारत यदि अपना पाटनरोधी शुल्क समाप्त करता है तो वह आसान लक्ष्य बन जाएगा क्योंकि चीन के निर्यातकों के पास कोई अन्य लक्ष्य नहीं होगा ।

vii. वर्ष 2010 और 2011 के दौरान घरेलू उद्योग ने घरेलू प्रयोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में संबद्ध वस्तु की आपूर्ति की थी परंतु उनमें से कई प्रयोक्ताओं ने उनसे बार–बार प्राप्त कीमत पूछताछ के प्रस्तावों के बावजूद वर्ष 2012 में आगे आर्डर पर घरेलू उद्योग से खरीद नहीं की ।

viii. संबद्ध देश से इतर देशों से हुए आयातों की मात्रा इतनी अधिक नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होती हो या उसका खतरा उत्पन्न हो गया हो । ऐसे किसी अन्य देश, जिस पर शुल्क लागू नहीं है, से भारत में बढ़ी हुई मात्रा में आयात होने की संभावना नहीं है ।

ix. चीन जन.गण. से आयात प्राधिकारी द्वारा निर्धारित संदर्भ कीमत से काफी कम कीमत पर जारी हैं । यदि शुल्क समाप्त किया जाता है तो घरेलू उद्योग ऐसी कम कीमतों के लिए एक बार फिर सभेद्य बन जाएगा जिन कीमतों पर चीन से भारत में आयात किए जा रहे हैं ।

x. यह देखा जा सकता है कि चीन से आयातों में गिरावट मांग में गिरावट की तुलनीय दर से आई है । इसके अलावा, आयात अत्यधिक पाटित कीमतों पर जारी हैं जिसके कारण शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में उनसे घरेलू उद्योग के लिए भारी खतरा उत्पन्न हो गया है ।

xi. सी आई एफ कीमतें अम.डा./वर्ग मी. में संदर्भ कीमत से भी काफी कम हैं जिससे इस चरण पर शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होना लाजिमी है ।

**<u>उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध</u>**

59. पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के बारे में उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं, जिन्हें प्राधिकारी ने संगत माना है :

i. यदि निर्यातकों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि पाटन और क्षति की कोई संभावना नहीं है तो यह नहीं माना जा सकता कि पाटन और क्षति की संभावना है । चूंकि याचिकाकर्ता ने पाटनरोधी शुल्क की अवधि बढ़ाने की मांग की है इसलिए पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना की पुष्टि करने का दायित्व याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग पर है ।

ii. संबद्ध देश में बेशी क्षमता का दावा मात्र अनुमान पर आधारित है । इसके समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है । इसके अलावा, मात्र बेशी क्षमता काफी नहीं है, जो महत्वपूर्ण है, वह है बेशी क्षमताएं और इन बेशी क्षमताओं का उपयोग भारत को निर्यात के लिए करना ।

iii. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि खपत की पद्धति एनालॉग से अत्यधिक बदलकर डिजिटल प्लेट की हो गई है और परिणामतः उत्पाद की मांग में तेजी से गिरावट आ रही है जिससे क्षति की संभावना का पता चल रहा है ।

**प्राधिकारी द्वारा जांच**

60. वर्तमान जांच चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की एक निर्णायक समीक्षा है । नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित है क्या पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लागू रखने की जरूरत है । इसके लिए इस बात की जांच करना भी अपेक्षित है कि क्या लगाए गए शुल्क से क्षतिकारी पाटन समाप्त करने के अभीष्ठ प्रयोजन की सिद्धि होती है ।

61. प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों और न ही भारत में संबद्ध वस्तु के आयातकों ने प्रश्नावली का उत्तर दायर कर सहयोग किया है । इसके अलावा, उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों की ओर से किए गए अनुरोध अपुष्टीकृत हैं ।

62. वर्तमान जांच में चूंकि संबद्ध देश से लगातार पाटित आयात हो रहे हैं, इसलिए प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित नहीं है कि क्या शुल्क समाप्त किए जाने से पाटन की पुनरावृत्ति होगी । पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद संबद्ध देश भारतीय बाजार में पर्याप्त मौजूदगी रख सकता है और घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारी संबद्ध वस्तु का पाटन जारी रख सकता है । इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन जारी रहने/उसमें तेजी आने की संभावना का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है :

**संबद्ध वस्तु की मांग और भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता**

63. घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की मांग में यद्यपि गिरावट आई है तथापि, उसकी मात्रा अभी भी काफी है । इसके अलावा, जैसा कि घरेलू उद्योग ने सूचित किया है, विश्व बाजार में, खासकर विकसित देशों में भी संबद्ध वस्तु की मांग में गिरावट आ रही है । जांच अवधि के दौरान सकारात्मक कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री से यह संकेत मिलता है कि भारतीय बाजार कीमत की दृष्टि से आकर्षक है । इस प्रकार, चीन की क्षमता और निर्यात अभिमुखीकरण पर विचार करते हुए, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की स्थिति में पाटन में आगे और तेजी आने की संभावना है ।

**चीन की उत्पादन क्षमता और उसका निर्यात अभिमुखीकरण**

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने सहयोग नहीं किया है और निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। तथापि, घरेलू उद्योग के अनुरोध के अनुसार चीन की क्षमता निम्नानुसार है :–

| चीन में उत्पादक | क्षमता मिलियन वर्ग मी. में |
|---|---|
| लकी हुआगांग ग्राफिक्स | 40 |
| शांगसी जिनगुन | 5 |
| ए ओ एन ई ग्राफिक्स | 12 |
| झेजियांग आओगुआंग प्रिंटिंग | 8 |
| शंघाई बोसिका प्रिंटिंग | 12 |
| पीएनई प्रिंट | 30 |
| स्ट्रॉग स्टेट प्रिंटिंग (2011) | 33 |
| अन्य उत्पादक | 60 |
| कुल अनुमानित क्षमता | 200 |

चीन जन.गण. में उपलब्ध बताई गई अत्यधिक बेशी क्षमता पर विचार करते हुए लगभग 10 मिलियन वर्ग मीटर वार्षिक की भारतीय मांग को चीन के निर्यातकों द्वारा पूर्ण रूप से पूरा किया जा सकता है । इस प्रकार भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु की निरंतर पर्याप्त मांग और उसकी कीमत आकर्षकता को ध्यान में रखते हुए पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन में आगे और तेजी आने की संभावना है ।

**तुर्की और ब्राजील द्वारा लगाया गया पाटनरोधी शुल्क**

65. भारत के अलावा, चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयात पर तुर्की और ब्राजील की सरकार द्वारा भी पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है । भारी उत्पादन क्षमता का लाभ उठाते हुए और भारतीय बाजार में सतत मांग तथा उसकी कीमत आकर्षणता पर

विचार करते हुए चीन ने निर्यातक भारत द्वारा पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन और अधिक तेजी से करने की मजबूत स्थिति में होंगे ।

## झ. क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

66. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध–III के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की क्षति रहित कीमत निर्धारित की है । जांच अवधि के दौरान क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए इस प्रकार से निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना निम्नानुसार संबद्ध वस्तु के निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है :

| विवरण | अम.डा./किग्रा. | रु./किग्रा. |
|---|---|---|
| क्षति रहित कीमत | *** | *** |
| पाटनरोधी शुल्क रहित पहुंच कीमत | *** | *** |
| क्षति मार्जिन | *** | *** |
| आईएम % | *** | *** |
| क्षति मार्जिन रेंग | 2-10 | 2-10 |

## प्रकटन विवरण के पश्चात् टिप्पणियां

67. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन विवरण के पश्चात् की गई टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :–

i. यद्यपि, घरेलू उद्योग ने आरंभ में निर्धारित शुल्क का अनुरोध किया है । तथापि, घरेलू उद्योग एतद्द्वारा उक्त अनुरोध को वापस लेता है और मूल रूप में लगाए गए शुल्क अर्थात् संदर्भ कीमत आधार पर लगाए गए अम.डा./किग्रा. को जारी रखने का अनुरोध करता है ।

ii. किसी भी निर्यातक या आयातक ने वर्तमान जांच में अपेक्षित प्रश्नावलियां दायर नहीं की हैं । चूंकि निर्यातकों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि पाटन और क्षति जारी रहने तथा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है, इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि सतत पाटित आयातों एवं घरेलू उद्योग की नाजुक स्थिति के मद्देनजर शुल्क जारी रखा जाना चाहिए ।

i. प्रश्नावली का कोई उत्तर दायर किए बिना आयातकों अर्थात् क्रीड इंजीनियर्स तथा अन्य प्रयोक्ता एसोसिएशनों के पास इस जांच में सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है ।

## अन्य हितबद्ध पक्षकार

68. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन विवरण के पश्चात् की गई टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :–

i. आयातों की पहुंच कीमत में घट–बढ़, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और बिक्री कीमत के बीच कोई संबंध नहीं है । मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को हुई क्षति का एक कारण है ।

ii. क्षति और पाटन की मात्र मौजूदगी से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है कि पाटन और क्षति की संभावना मौजूद है । इसे इस संदर्भ में देखने की जरूरत होती है कि क्या घरेलू उद्योग को आयातों के कारण क्षति हो रही है अथवा नहीं ।

iii. एल्युमिनियम की कीमतों में तेजी से आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी केवल निर्धारित राशि के रूप में निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क पर विचार करें ।

## प्राधिकारी द्वारा जांच

69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण के पश्चात् दोनों विरोधी पक्षकारों ने अपने पूर्ववर्ती अनुरोधों को अधिकांशतः दोहराया है । जहां तक शुल्क के स्वरूप के बारे में अनुरोध का संबंध है, उस पर इस जांच परिणाम के संगत पैराग्राफ में विचार किया गया है ।

## ट. घरेलू उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

70. प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में उत्पाद का कीमत स्तर प्रभावित हो सकता है । तथापि, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी । इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से पाटन के व्यवहार द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग का ह्रास रुकेगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी । उत्पादक अभी भी आपूर्ति के एक या इससे अधिक स्रोत रख सकेंगे ।

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का उद्देश्य सामान्यतः पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहारों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके, जो देश के सामान्य हित में है । पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होंगे । इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी ।

## ठ. निष्कर्ष

72. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों, प्रदत्त सूचना और किए गए अनुरोधों तथा इस अंतिम जांच परिणाम में यथा दर्ज प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा पाटन एवं परिणामी क्षति जारी रहने और पाटन तथा क्षति जारी रहने की संभावना की स्थिति के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि :

i. मौजूदा पाटनरोधी उपायों तथा घरेलू उद्योग के पास समूची घरेलू मांग को पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों का हिस्सा काफी अधिक बना हुआ है ।

ii. भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा काफी अधिक है ।

iii. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का लगातार पाटन किया जा रहा है और पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन जारी रहने और उसमें तेजी आने की संभावना है ।

iv. पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री का प्रभाव सकारात्मक है ।

v. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों, खासकर उत्पादन और घरेलू बिक्री से आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान नकारात्मक वृद्धि का पता चलता है । इसी प्रकार आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान कीमत मापदंडों से भी नकारात्मक वृद्धि का पता चलता है ।

vi. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रही है और जांच अवधि के दौरान पाटन मार्जिन काफी अधिक है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है । चूंकि एनालॉग प्लेट्स की घरेलू मांग अभी काफी अधिक है और निकट भविष्य में खपत की पद्धति पूर्णतः बदलकर डिजिटल प्लेट्स पर आने की संभावना नहीं है, इसलिए पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध वस्तु के पाटन से घरेलू उद्योग को आगे और क्षति जारी रह सकती है ।

## ड. सिफारिशें

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि समूची जांच के दौरान घरेलू उद्योग ने शुल्क के निर्धारित स्वरूप को लगाने की दलील दी है । जांच के दौरान घरेलू उद्योग के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए और संबद्ध वस्तु के उत्पादन तथा मांग की बदलती हुई पद्धतियों सहित अन्य संगत विचारों के मद्देनजर प्राधिकारी वर्तमान जांच में शुल्क के निर्धारित स्वरूप को लागू करने की सिफारिश करते हैं ।

74. उपर्युक्तानुसार निष्कर्ष निकालने के बाद प्राधिकारी का यह मत है कि संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में निम्नलिखित शुल्क तालिका में यथानिर्दिष्ट पाटनरोधी उपाय का विस्तार करने और उसमें संशोधन करने की जरूरत है । प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, जो भी कम हो, के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके । क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना जांच अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत के साथ की गई है । प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन और क्षति मार्जिन का उल्लेख उपर्युक्त पैराग्राफों में किया गया है । तद्नुसार, चीन जन.गण. के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित तालिका के कॉलम 9 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

**शुल्क तालिका**

| क्र.सं. | शीर्ष/उपशीर्ष | वस्तु विवरण | विनिर्देशन | उद्गम का देश | निर्यात का देश | उत्पादक | निर्यातक | शुल्क राशि | इकाई | मुद्रा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 37,76 अथवा 84 | प्रीसेंसीटाइज्ड पॉजीटिव आफसैट एल्यूमिनियम प्लेट्स | प्रत्येक ओर 0.03 मि.मी. के अंतर के साथ 0.15 मि.मी. से 0.40 मि.मी. तक की मोटाई | चीन जन.गण. | चीन जन.गण. | कोई | कोई | 0.22 | प्रति किग्रा. | अम.डा. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | –वही– | –वही– | चीन जन.गण. | चीन जन.गण. से इतर अन्य कोई | कोई | कोई | 0.22 | प्रति किग्रा. | अम.डा. |
| 3 | | –वही– | –वही– | चीन जन.गण. से इतर अन्य कोई | चीन जन.गण. | कोई | कोई | 0.22 | प्रति किग्रा. | अम.डा. |

## ड आगे की प्रकिया

75. केन्द्र सरकार द्वारा यह आदेश स्वीकार किए जाने के बाद इसके खिलाफ कोई अपील सीमाशुल्क टैरिफ, अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी ।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th March, 2014

**Final Findings**

**Subject: Sunset Review (SSR) of anti-dumping duty imposed on the imports of Presensitised Positive Offset Aluminium Plates/PS Plates, originating in or exported from China PR.**

**F. No. 15/11/2012-DGAD –** Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Rules) thereof;

### A. Background of the Case

1. Whereas, the original investigation concerning imports of Presensitised Positive Offset Aluminium Plates/PS Plates (hereinafter referred to as the subject goods), originating in or exported from Bulgaria, China PR, Malaysia, Singapore and South Korea, was initiated by the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) vide Notification No. 14/6/2006-DGA dated 24th August, 2006. The Final Findings Notification was issued by the Authority vide Notification No. 14/6/2006-DGA dated 23.08.2007, recommending imposition of definitive anti-dumping duty on reference price basis, on the imports of Presensitised Positive Offset Aluminium Plates (thickness ranging from 0.15 mm to 0.40 mm with a variation of 0.03 mm on either side), originating in or exported China PR, Bulgaria, Malaysia, Singapore and Korea RP. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duty on reference price basis was imposed by the Central Government vide Notification No. 108/2007-Customs dated 25.09.2007 on the imports of Presensitised Positive Offset Aluminium Plates (thickness ranging from 0.15 mm to 0.40 mm with a variation of 0.03 mm on either side), originating in or exported from China PR, Bulgaria, Malaysia, Singapore and Korea RP.

2. Whereas, appeals were filed challenging the final findings and imposition of anti-dumping duties before Hon'ble CESTAT. The Hon'ble CESTAT vide its order No. AD/31-51/2011 dated 11th August 2011 remanded the matter back to the Designated Authority with inter alia the following order:

> *"15. Accordingly we allow these appeals by remand to the DA for affording post decisional hearing to the appellants and for making such modifications to the final findings as may be necessary as a result of such post-decisional hearing. The respondent- domestic industry and other interested parties, if any, shall be allowed to participate in such post decisional hearing. Any modifications made in the final findings would be considered by giving effect to the same by the Government by carrying out the necessary amendments to the impugned notifications imposing anti-dumping duty. This process shall be completed within 6 months from the date of this order and status quo shall be maintained meanwhile. Since we are*

*allowing these appeals by remand, the related stay petitions, MAs, and COs stand disposed off."*

3. In compliance with the above started orders of the Hon'ble CESTAT, the Authority vide its post decisional findings issued vide Notification No.14/6/2006-DGAD dated 9th February, 2012, re-affirmed its original findings issued vide Notification No. 14/6/2006-DGAD dated 23rd August 2007 and the recommendations made therein, without prejudice to appeal before the Apex Court. The Authority had also filed an appeal before the Hon'ble Supreme Court challenging the orders of the CESTAT, which is pending.

4. Whereas, M/s. Kodak (China) Graphic Communications Company Ltd. (Producer/Exporter from China PR) filed an application for a New Shipper Review under Rule 22 of Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, and requested the Designated Authority to initiate a New Shipper Review of the anti-dumping duty levied vide Customs Notification No. 108/2007 dated 25th September, 2007, on imports of Pre-sensitized Positive Offset Aluminium Plates, originating in or exported from China PR, pursuant to the Final Findings dated 23rd August, 2007 issued by the Designated Authority. The Authority vide its NSR Findings issued vide Notification No.15/13/2009-DGAD dated 23rd February, 2012, concluded that M/s Kodak (China) Graphic Communications Company Ltd., China PR, cannot be treated as a New Shipper under Rule 22 of the Anti-Dumping Rules and is, therefore, not entitled to individual dumping margin.

5. Whereas, M/s Techhova Imaging Systems (P) Ltd and M/s Lastra Niraj Pvt Ltd filed an application before the Authority, on behalf of the producers of the subject goods in India, alleging dumping/likelihood of dumping of the subject goods, originating in or exported from Bulgaria, China PR, Malaysia, Singapore and South Korea and requested for review, continuation and enhancement of the relevant anti-dumping duties. They also requested for a change in the form of duty from reference price to fixed form.

6. Whereas, as far as China PR is concerned, preliminary scrutiny of the application prima facie showed that the dumping of the subject goods has not ceased despite imposition of the anti-dumping measures, no substantive evidence could be furnished by the applicants to prove dumping, injury and causal link or likelihood of dumping and injury on account of imports of the subject goods, originating in or exported from Bulgaria, Malaysia, South Korea, and Singapore. In fact, the applicants themselves informed vide their letter dated 5th September, 2012 that:

   a) Since the plant in Bulgaria has been shut down, the Authority is requested not to initiate the sunset review in respect of Bulgaria as it would not serve any purpose.

   b) If the Authority considers that it is not appropriate to initiate the sunset review against Malaysia, South Korea and Singapore, the Authority is requested to initiate the investigation against China PR.

7. In view of the above position, the Authority initiated sunset review investigation in respect of the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country) only vide Notification No. 15/11/2012-DGAD dated 18th September, 2012.

8. A corrigendum notification was issued by the Authority vide even No. dated 3rd January, 2013 rectifying the injury period of the investigation.

## B. PROCEDURE

9. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

   i. The embassy of China PR in New Delhi was informed about the initiation of the investigations in accordance with Rule 6(2).

   ii. The Authority initiated the present sunset review investigation on 18th September, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, on the basis of sufficient evidence submitted by the applicant on behalf of the domestic industry and in accordance with the Act and the Rules, to examine whether cessation of the duty would lead to continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country, and consequent injury to the domestic industry.

iii. The Authority provided copies of the non-confidential version of the application of the domestic industry to the known exporters and Embassy of China PR in New Delhi in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the non-confidential application of the domestic industry was also provided to other interested parties, wherever requested.

iv. The Authority forwarded a copy of the public notice to the following known exporters (whose names and addresses were made available to the Authority) and gave them opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rule 6(2) & 6(4) of the Rules, with copy to the embassy of the subject country in New Delhi:

1. Kodak (China) Graphic Communication
2. Fujifilm Printing Plate (China) Co. Ltd.
3. Xingraphics, China
4. The Second Film Factory of Lucky Group, China
5. Lucky Huagang Graphics Co Ltd

v. A Market Economy Treatment (MET) questionnaire was also forwarded to all the known exporters and embassy of China PR with a request to provide relevant information to the Authority within the prescribed time.

vi. While for the purpose of initiation the normal value in China PR was considered based on the cost of production of the subject goods in India, duly adjusted, the Authority informed known exporters that it proposes to examine the claim of the applicant in the light of para 7 and para 8 of Annexure I of Anti-Dumping Rules, as amended. The exporters/producers of the subject goods from China PR were therefore requested to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 to enable the Authority to consider whether market economy treatment can be granted to cooperative exporters/ producers.

vii. None of the producers/exporters from the subject country filed the Exporters Questionnaire or Market Economy Treatment (MET) response.

viii. Copy of the initiation notification was also sent to the embassy of the subject country in New Delhi, along with a copy of the letter, petition and questionnaire sent to the exporters, and requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time.

ix. The Authority forwarded a copy of the initiation notification to the following known importers of the subject goods in India in accordance with the Rule 6(4) of the Rules:

1. Kodak India private Limited
2. Fujifilm India private Limited
3. Newstech (India) Pvt. Ltd.
4. Kapoor Imaging Pvt.ltd.
5. Heidelberg India Pvt. Ltd.
6. Max Flex and Imaging Systems Pvt. Ltd.
7. M S Graphics Pvt Ltd
8. Allied Enterprises.
9. All India Federation of Master Printers
10. The Bombay Master Printers
11. Delhi Printers Association
12. Salem District Offset Printers Association
13. Pragati Offset Pvt Ltd
14. K. Joshi & Co

15. Silver Point Press Pvt Ltd
16. R R Donnelley India
17. TCPL Packaging Ltd
18. Bennet Coleman & Co Ltd
19. Jagaran Prakashan Ltd
20. Dainik Bhaskar Group of Publications
21. Utility Printers
22. M/s Creed Engineers Pvt Ltd
23. The Madras Printers & Lithographers

x. None of the Indian importers/users filed importers questionnaire response.

xi. Submissions have been received on behalf of the following interested parties during the course of the investigation:

i. Lucky Huaguang Graphics Co. Ltd, China PR.
ii. Creed Engineers Pvt. Ltd.
iii. All India Federation of Master Printers.
iv. Noida Offset Printers Association.
v. Andhra Pradesh Printers' Association.
vi. Indian Languages Newspapers' Association.
vii. Delhi Printers Association.
viii. Orion Photosensitive Systems.

xii. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review was from 1st April, 2011 to 31st March, 2012 (12 months). However, injury investigation covered the years 2008-09, 2009-10, 2010-11 and the POI. The data beyond the POI has also been examined to determine the likelihood of dumping and injury.

xiii. The domestic industry had relied upon the data from the secondary sources i.e. EXIMNET. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the injury period including the POI and also the post-POI. Since during the POI the volume of the imports of the subject goods from the subject country, as per the EXIMNET source, was found to be more than that reported in the DGCI&S data, although price of the subject goods in both the sources of data is almost at the same level, the Authority has relied upon the data from the EXIMNET source in the present investigation. Moreover, the data from the EXIMNET source reports the imports of the subject goods under several other customs heads which does not seem to have been captured in the data from the DGCI&S source.

xiv. Exporters, producers, importers and other interested parties who have neither responded to the Authority nor supplied information relevant to this investigation have been treated as non-cooperating interested parties by the Authority.

xv. The Authority has examined the information furnished by the domestic producers to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

xvi. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 12th August 2013. The parties which presented their views in the public hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. The arguments made in the written submissions received from the interested parties have been considered by the Authority, wherever found relevant, in the present disclosure statement.

xvii. Verification of the information and data submitted by the domestic industry was carried out by the Authority to the extent considered necessary.

xviii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

xix. The essential facts of the investigation were disclosed by the Authority vide disclosure statement dated 10th February, 2014 and comments received thereon, including the submissions received during the course of the investigation, from the interested parties, considered relevant by the Authority, have been addressed in this final finding.

xx. The Department of Revenue vide its Office MemorandumNo.354/136/2007-TRU dated 29th October, 2013 allowed extension of time up to 17th March, 2014 for completing the subject investigation.

xxi. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded these disclosures on the basis of the 'facts available' and treated such parties as non-cooperative.

xxii. *** In this Notification represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xxiii. The exchange rate for the POI has been taken as Rs. 48.14 = 1 US$.

**C. <u>Product under consideration and Like article</u>**

10. The product under consideration in the present sunset review investigation, as in the original investigation, is Pre-sensitized Positive Offset Aluminum plates (also referred to as "PS Plates" or the subject goods). In the final findings issued by the Authority vide Notification No. 14/6/2006-DGA dated 23.08.2007, the Authority had defined the product under consideration and observed as under:

> *"5. The product under consideration in the present investigation is Pre-sensitized Positive Offset Aluminum plates (also referred to as "PS Plates" or subject goods). The subject goods is primarily used in the printing establishments. There are various kinds of Aluminium Offset Plates, designed to suit the quality, speed & cost requirements of the users, and the imaging technology available to them e.g. Non-sensitised Grained Plates; Pre-sensitised Plates (Positive or Negative working); Digital Plates (Thermal or Violet or UV sensitive). The thickness of the subject goods ranges between 0.15 mm to 0.40mm. The present application covers PS PLATES of all types of thickness ranging from 0.15 mm to 0.40mm with a variation of 0.03mm on either side."*
>
> *6. PS Plates serve as an image-carrier on an offset printing machine, and is the final link in the lithographic offset printing process. It is used by the printing Industry on sheet-fed & web-fed offset printing machines for printing of newspapers, flexible packaging materials, books, general commercial printing, and stationary, business forms. The subject goods are manufactured from coils or sheets of "litho-grade" Aluminium by electro-chemically treating the surface, followed by photo-sensitive coating, drying, and cutting the sheets to required dimensions. The subject goods falls under Chapter 84 of the Custom Tariff Act, 1975. While the classification of the PS plates at the eight digit level is 84425020, the subject goods are reported to have been imported under sub-headings 37013000, 37040090, 37051000, 76069190, and 76069290 as well. However, the Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation. Subsequent to the initiation, various interested parties have submitted that scope of the product under consideration should be clarified so that it does not include other products like negative plates and digital plates. The Authority has examined the contention of other interested parties and it holds that product under consideration does not cover negative plates and digital plates,, negative offset*

*plates and all plates other than "Pre-sensitized Positive Offset Aluminum plates with thickness ranging from 0.15 mm to 0.40mm with a variation of 0.03mm on either side" are outside the scope of the investigation."*

11. As per the Duty table in the Notification No. 108/2007-Customs dated 25.09.2007, the product has been classified under chapter 37, 76 or 84 of the Customs Tariff Act. However, the Customs Classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation.

12. The Authority further notes that the subject goods produced by the domestic industry is like article to the goods imported from the subject country. Product under consideration produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The Designated Authority has examined the issue of product under consideration and like article in the original investigation, which is relied upon. The goods produced by the domestic industry and imported from subject country are like articles in terms of the Rules.

13. The present investigation being a sun set review investigation the Authority considers that the scope of the PUC in the present investigation remains the same as that of the original investigation. Moreover, none of the interested parties have made any relevant submission requesting modification in the scope of the Product under consideration or disputing the likeness of the subject goods imported from the subject countries and produced and supplied by the domestic industry.

**D. Scope of the Domestic Industry & standing**

14. The application has been filed by M/s Technova Imaging Systems (P) Ltd and M/s Lastra Niraj Pvt Ltd on behalf of the domestic industry. The Authority notes that the production of the aforesaid domestic producers constitutes almost 100% of the total domestic production of the domestic like article. Moreover, none of the interested parties have made any relevant submission in this regard requiring the Authority to specifically examine and address the scope of the domestic industry and standing. Further Orion Photosensitive Systems, another domestic producer, supported the petition during public hearing. In view of the above position, the Authority notes that M/s Technova Imaging Systems (P) Ltd and M/s Lastra Niraj Pvt Ltd account for a major proportion of domestic production of like article and constitute domestic industry under the Rules.

**E. Confidentiality**

**Submissions made by the Domestic Industry**

i. The allegation that domestic industry has claimed excessive confidentiality is not correct.

ii. The information placed in the public file meets with the requirements of Rule 7 of the Anti-dumping Rules and the related trade notices.

**Submissions by exporters/importers/other interested Parties**

i. The petitioners have claimed excessive confidentiality in their petition.

ii. Technova should be asked to place its annual reports in public file.

**Examination by the Authority**

15. The Authority has examined the confidentiality claims of the interested parties. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:-

*(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and subrule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

*(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible. (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.*

16. The provision for disclosure of essential facts before giving final findings has been laid down under Rule 16 of the Anti-dumping Rules. Even under Rule 16, the confidential facts are required to be disclosed to "respective interested parties" only, while non-confidential facts are required to be disclosed to all interested parties. At no stage the Designated Authority is empowered to disclose the confidential information to the parties with competing and conflicting interests.

17. The Authority notes that the information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has granted confidentiality, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. However, wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide non-confidential version of the information filed on confidential basis and the non-confidential information was made available to the interested parties in the form of a public file.

18. The copy of the annual report, as provided by M/s Technova, has been made available in the Public file.

**Miscellaneous Submissions**

**Domestic Industry**

19. The following are the miscellaneous submissions made by the domestic industry:

i. The initiation of the present sunset review investigation is lawful and within the rights of the Authority.

ii. Steep depreciation of the Rupee against the Dollar has hurt domestic manufactures as more than 70% of the cost of production of PS Plates is linked to Dollar-Rupee exchange rate.Although the reference price duty has so far provided the protection to the domestic industry, it has failed to curb the unfair trade practices that caused injury to the domestic industry. Therefore, the duty should be imposed in US Dollar in fixed form.

iii. There are a large number of SME printers who do not have the necessary financial wherewithal to invest in the required capital equipment for using 'digital plates'. Therefore, the current decline in demand is only a temporary phase and the demand is expected to pick up in the immediate future.

iv. 45% of the country's printing industry still uses analog variety of Printing Plates (PS Plates), which constitute the life blood of the Domestic Industry's business. The true well-being of the printing industry lies in continuation of anti-dumping duties to restore stability to the domestic producers.

v. As regards the reduction in benchmark pricing over the course of the digital plates investigation, it is humbly submitted that the facts of that case do not apply here as that is a different product examined over a completely different time period.

vi. India is the only country world-wide where analog plates of global standards and quality are made available at such low prices. It is undisputed that subject goods of comparable quality are priced considerably higher worldwide. If duties on PS Plates are removed, Technova and other domestic producers are bound to continue suffering material injury as a result of which they might be forced to shut down their PS Plates operations. If that occurs, the printing industry will be at the mercy of the overseas producers who will seek to increase prices once they know there is no domestic competition in India. Therefore, it is in the long term interest of the public and printing industry that duties on PS plates are continued to protect the Indian printing and plates sectors from predatory pricing.

vii. The allegations regarding monopolistic behaviour of the Domestic Industry are misplaced. The Domestic Industry has made every effort to provide the highest quality products at the most reasonable rates. Technova has signed an MOU with the All India Federation of Master Printers on its pricing policy and has implemented the same in full letter and spirit. In any event, allegations of monopolistic behaviour are under the domain of the competition commission and have no impact on the operation of a sunset review examination.

viii. The product concerned is continued to be imported at dumped prices from China PR under the guise of different nomenclatures. Moreover, Digital plates and PS plates look alike and in the event of revocation of duty on PS plates, digital plates may get dumped in the guise of PS plates.

**Submissions by producers/exporters/importers/other opposing interested Parties**

20. The following are the miscellaneous submissions made by the opposite interested parties:

i. Application was not filed by the domestic industry within the prescribed time limit and therefore the initiation of the present investigation is bad in law.

ii. Technova has monopoly over the product concerned in the country. The printing industry is suffering from the existing anti-dumping duty on PS Plates and it should be removed in the public interest.

iii. The domestic industry is over protected from the reference price duties imposed in US$. In case the reference price ADD needs to be extended, the same should be done in Indian Rupees and not US$ since the US$ has appreciated significantly over the injury period.

**Examination by the Authority**

21. The miscellaneous submissions are addressed by the Authority as follows:

i. As regards the contention that application was not filed by the domestic industry within the prescribed time limit, the Authority notes that the investigation was initiated on submission of a duly substantiated application by the domestic industry in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules.

ii. As regards the contention that the domestic industry is over protected from the reference price duties imposed in US$ vis-à-vis its cost of production, the Authority notes that the form and quantum of the anti-dumping measures recommended by the Authority is dependent upon the facts of the case and governed by the lesser duty rule i.e. the dumping margin or injury margin whichever is less.

iii. As regards the contention that Technova has monopoly over the product concerned and the printers, especially the small scale printers, will continue to be at the mercy of Technova if the ADD continues, the Authority notes that the Anti-dumping Rules do not bar the benefit of protection to domestic industry, which may be the sole producer of the subject goods, vis-à-vis dumped imports. The Authority further notes that there is another producer of the subject goods in the country namely M/s Orion Photosensitive Systems who made submissions in the present investigation.

**F. Market Economy Treatment, Normal Value, Export Price and Determination of Dumping Margin - Methodology and Parameters**

**Submissions made by the Domestic Industry**

22. The following are the submissions made by the domestic industry:

i. Despite the duties levied in the original investigation, dumped imports continue to enter the country at a price much lower than the reference price duty, which has prevented the domestic industry from recovering adequately. The dumping margin for China PR for the period of investigation is substantial.

ii. No exporter has cooperated in the present investigation. Authority should treat China as non-market economy for the purposes of this investigation and determine normal value on the basis of constructed cost in terms of paragraph 7, annex 2 of the AD Rules.

iii. The Interested parties have claimed that the normal value for analog plates from China cannot possibly be higher than the normal value for CtCP Digital plates from China. However the periods considered in both the investigations are vastly different and the prices of the raw materials have significantly gone through drastic price variances which justify that the prices adopted for the present investigation is accurate.

**Submissions by producers/exporters/importers/other interested Parties**

23. The following are the submissions made by the opposite interested parties:

i. The calculation of normal value and export price by the applicant are flawed. The normal value for analog plates from China cannot possibly be higher than the normal value for CtCP Digital plates from China.

ii. It is not dumping of the product under consideration which is bothering the petitioner domestic industry. It is possible shipment of digital plates as PS Plates which is bothering the domestic industry. However, because PS Plate may be mis-declared and imported as digital plate, the same cannot be a ground for extension of anti-dumping duty on PS Plates.

**Examination and Determination of Normal Value for China PR**

24. Under Section 9A (1) (c) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 normal value in relation to an article means:

"(i) *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section(6); or*

*(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either –*

*(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

*(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6)".*

25. Since none of the producers/exporters of China PR has submitted exporters questionnaire response and rebutted the non-market economy treatment in the present investigation, the normal value has been determined by the Authority on the basis of the provisions laid down under Para-7 to Annexure-I of the Anti-dumping Rules.

26. Para 7 of Annexure I of the Anti-dumping Rules provides as follows:

*"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis if the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer* their comments."

27. In view of the above position, the normal value is constructed by the Authority in the present investigation taking into account the international price of the major raw materials, consumption norms, conversion cost, and SGA expenses of the most efficient domestic industry. The constructed normal value is determined by the Authority accordingly as US$ ***/Kg.

**Export Price**

28. As no exporter/producer from the subject country has filed exporters questionnaire response, the Authority determined the export price for the exporters from China PR on the basis of 'facts available' on record after making acceptable adjustments on account of ocean freight, marine insurance and port handling charges. The net export price is determined by the Authority as US$***/Kg.

**Determination of Dumping Margin**

29. Comparing the normal values and export price at ex-factory level as determined above, the dumping margin for the producers/exporters of the subject country has been determined by the Authority as follows :

| Normal Value USD/KG | Export Price USD/KG | Dumping Margin USD/KG | Dumping Margin % | Dumping Margin % Range |
|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | 10-20 |

**G. Methodology For Injury Determination and Examination of Injury and Causal Link**

**Submissions made by the Domestic Industry**

30. The following submissions have been made by the domestic industry:

i. The claim of the importers that the costing information provided by the Domestic Industry is unreliable is baseless.

ii. Although the volume of imports from China has come down, these imports continue to come into India at heavily dumped prices and Domestic Industry has continued to suffer material injury.

iii. The present investigation being a sunset review, the Authority is required not to look at injury in isolation, but in the context of whether there is sufficient improvement in the performance of the Domestic Industry to warrant complete removal of duties. The state of the domestic industry is still extremely unstable. The moment duties are removed, the Domestic Industry will be left vulnerable to an inevitable increase in dumped imports.

iv. While demand has come down over the injury period and the period of investigation, the market share of the domestic industry has grown marginally.

v. The domestic industry is capable to satisfy the entire domestic demand for the product under consideration. However, due to incessant dumping of the subject goods from the subject country, the domestic industry is unable to sell its production, thus leading to sustained material injury.

vi. There is positive undercutting up to the period of investigation and significant price depression post period of investigation since the domestic industry had no choice but to lower its prices in order to sell its product.

vii. Despite a decline in imports from China, the low prices continue to cause a reduction in the sales and therefore production of the subject goods, leading to lower capacity utilization which has dropped by nearly 25% over the injury period to the period post POI.

viii. Due to the low prices at which Chinese imports are coming into India, the domestic industry is unable to sell at remunerative prices leading to a dip in sales quantity.

ix. Even though there has been a miniscule improvement in profit terms and ROCE, it continues to be highly unstable due to the fragile state of the domestic industry caused by dumped imports.

x. Both employment and wages have increased per unit of production.

xi. The factors that adversely affect the domestic industry are both the volume of imports as well as the prices at which the imported goods enter the country.

xii. If imports continue to enter the country at the current dumping margin levels, there is a likelihood of more intensified injury to the domestic industry.

xiii. The domestic industry is compelled to match the prices quoted by the exporters in order to retain the market share. The averment of the Interested Parties in the original investigation was that the entire injury to the Domestic Industry was being caused only by the transition of the market to digital plates. While the Domestic Industry has always acknowledged that such a transition is in place, it is undisputed that the injury was caused to the Domestic Industry due to low priced imports.

xiv. At the time of the original duties being recommended, about 90% of the market was dominated by analog plates. Therefore, there was no question of injury being caused by digital plates in the original investigation. About 45% of the Indian printing industry still uses analog plates.

xv. From the data on record it is clear that not only is the Domestic Industry not able to sell at the NIP, but that if the duties are removed, the Domestic Industry will not even be able to maintain its current, marginally profitable prices.

xvi. It is a well-known fact that certain digital plate's installations may also be used for PS Plates production. The entire calculation submitted by the Interested Parties on allegedly misrepresented capacities does not take the above into account.

**Submissions by the producers/exporters/other interested parties**

31. The following are the submissions made by the opposite interested parties:

i. The demand for the product in the country has steeply declined (by 22%) due to change in the technology and consumption pattern, but the market share of domestic industry increased in the POI. Thus, it is a clear situation where the domestic industry has lost sales less than the decline in demand.

ii. At the time of original investigations, the interested parties heavily argued that the changes in the consumption pattern and decline in demand of the product, in view of emergence of digital plate, was the cause of injury to the domestic industry. The argument of the interested parties that digital plate was causing the price pressure on analogue plate was also rejected. The domestic industry has now stated precisely what was argued by the interested parties in that investigation.

iii. The price undercutting calculations must be done after making all those adjustments which were done by the Designated Authority in digital plate case. Once these adjustments are made, possibly, the price undercutting in the present case shall be negative.

iv. Low level of price underselling may result in negative injury margin and absence of injury from the imports of subject goods from the subject country.

v. The petitioner has excessive fixed cost, incidence of which has come down after commercialization of production at the new production line of digital plate.

vi. The petitioner had contended in the digital plate investigations that its production facilities can be utilized for production of digital and analogue plate as well. However in the present case, the petitioner has not utilized its production facilities for production

of other products despite decline in demand. It is thus a clear situation where the petitioner is suffering significant injury as a result of decline in demand. Such demand is expected to decline further in future. No co-relation exists between landed price of imports and profitability of the domestic industry.

vii. The petitioner admitted at the time of hearing that conversion costs were hardly 20-25%, whereas the claim in the petition is that a conversion cost constitutes 35% of total cost of production. It thus clearly establishes contradiction in the claims on one hand and exaggerated normal value in the petition on the other hand.

viii. Significant appreciation in the US$ has resulted in the increase in the landed price of imports of the subject goods. This appreciation of US$ has not adversely affected the domestic industry as the price of raw materials have significantly declined. Thus there is no injury to the domestic industry and continuation of ADD is not justified.

ix. The profitability of Technova has significantly improved as per their annual reports.

x. Digital plates are much costlier than PS Plates and therefore in the event of revocation of ADD on PS Plates, Digital plates cannot be dumped in the guise of PS plates.

xi. Now when demand for PS plates is declining, Technova has not started using the existing facilities for production of digital plates. Technova is forced to underutilize the plant. The consumers cannot be penalized for changing consumption pattern of PS plates and injury being caused to Technova by the same.

xii. The claim of Technova that they are forced to operate at sub-optimal levels is due to decline in demand, as has also been admitted by the industry. The same is not because of dumping.

xiii. The capacity with Technova is far in excess of the demand of the PS Plates in the country leading to underutilized capacities.

xiv. There exists no co-relation between landed price of imports and profitability of the domestic industry. The landed price of import shows decline in 2009-10 and profitability of Technova shows improvement in this period.

xv. Return on capital employed has improved as has been admitted by Technova.

xvi. While arguing that the CIF price is significantly less than the reference price, what they overlooked is that the reference price was on weight basis (in kg) whereas the landed price of imports is in SQM.

xvii. There is no difference between reference price and landed price of imports as claimed by the petitioner.

xviii. The loss of market by the domestic industry is less than the decline in demand. Further, domestic industry would not be in a position to utilize its capacity as the same now exceeds the demand of the product in the country.

xix. The price undercutting is negative. The imports are being made by traders who are reselling the product in the Indian market. Since imports are by traders and domestic industry sales are directly to end consumers, the comparison is flawed.

xx. The sales volume of the domestic industry has declined less than the decline in demand. The market share of domestic industry has in fact increased. This clearly establishes that the decline in sales volume for the domestic industry is due to the contraction in demand and not because of dumping.

xxi. The decline in production and capacity utilization is a natural outcome of decline in demand. If demand has declined and if the same has led to decline in production, sales, capacity utilization, imports cannot be blamed.

xxii. The domestic industry is suffering high cost of production because of the expenditure of digital plate loaded on PS Plates and the domestic industry is facing significant decline

in capacity utilization because of decline in demand. Since demand has declined, the petitioner is suffering excessive fixed cost.

xxiii. Because of the decline in demand, imports have lost disproportionately higher sales in the Indian market as compared to domestic industry, as is clearly established by increase in market share of domestic industry and the decline in market share of imports.

xxiv. Since market share of domestic industry has increased, it is evident that consumers have not increasingly switched from domestic to import source. In later situation, the domestic industry's market share would have declined.

xxv. There are no discounts being paid by the exporters from China. The allegation by Technova is unsubstantiated.

xxvi. Decline in domestic sales of the domestic industry is lower than the decline in the import volumes. This clearly shows that domestic industry has lost sales volumes disproportionately lower than the imports. Further, since imports have declined more than the domestic sales, it follows that decline in domestic sales is not because of imports.

xxvii. The sales volume of the domestic industry has declined less than the decline in demand. The market share of domestic industry has in fact increased. This clearly establishes that the decline in sales volume for the domestic industry is due to the contraction in demand and not because of dumping.

**Examination by the Authority**

32. In consideration of the various submissions made by the domestic industry and other interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country. The various submissions made by the interested parties are ipso facto addressed in the injury analysis conducted by the Authority.

33. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure–II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "…. taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles…." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

34. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the rules supra.

35. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties in force. Rule 23 provides that provisions of Rule 11 shall apply, mutatis mutandis in case of a review as well. The Authority has therefore determined injury to the domestic industry considering, mutatis mutandis, the provisions of Rule 11 read with Annexure II. Further, since anti-dumping duties are in force on imports of the product under consideration, the Authority considers that the fact of existing anti-dumping duties on the imports of subject goods from China PR is required to be considered while examining injury to the domestic industry. The Authority has examined whether existing measure is sufficient or not to counteract the dumping which is causing injury.

36. According to Section 9 (A) (5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.

37. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods from the subject country on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal link between the dumping and injury, if any. Accordingly, the volume and price effect of dumped imports have been examined as below.

**VOLUME EFFECT:**

38. Volume effect of dumped imports and impact on domestic industry has been examined as follows:

**Demand and Market Share**

39. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in the Country as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources. The demand so assessed can be seen in the table below :

| Demand | UOM | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 (POI) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales of Domestic Industry | Million Kg | 7.59 | 7.80 | 7.24 | 6.15 |
| Subject country-Imports | Million Kg | 1.45 | 1.42 | 1.12 | 0.95 |
| Other Countries – Imports | Million Kg | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| Total Imports | Million Kg | 1.56 | 1.45 | 1.14 | 1.00 |
| Total demand/consumption | Million Kg | 9.15 | 9.26 | 8.39 | 7.15 |
| Market Share in Demand | | | | | |
| ➢ Domestic Industry | % | 83% | 84% | 86% | 86% |
| ➢ Subject Country | % | 16% | 15% | 13% | 13% |
| ➢ Other Countries | | 1% | 0% | 0% | 1% |
| ➢ Total | % | 100% | 100% | 100% | 100% |

The Authority notes that sales of the domestic industry show decline during the POI as compared to the preceding three years. Similarly, imports of the subject goods from the subject country declined during the POI vis-a-vis the preceding years. The Authority further notes that demand of the subject goods in the domestic market declined during the POI as compared to the immediate preceding year as well as the base year. The Authority further notes that during the POI as compared to the base year, while the market share of the domestic industry has increased, the market share of the subject country has declined.

**Import Volume & market share**

40. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

| Particulars | Unit | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 (POI) |
|---|---|---|---|---|---|
| Imports from China PR | Million Kg | 1.45 | 1.42 | 1.12 | 0.95 |
| Total Imports | Million Kg | 1.56 | 1.45 | 1.14 | 1.00 |
| Production of domestic Industry | Million Kg | 9.76 | 10.04 | 9.63 | 8.35 |
| Share of Chinese Imports in relation to: | | | | | |
| Total imports into India | % | 93 | 98 | 98 | 95 |
| Demand in India | % | 16 | 15 | 13 | 13 |
| Production of domestic Industry | % | 15 | 14 | 12 | 11 |

41. The Authority notes that volume of dumped imports from the subject country has consistently declined throughout the injury period. However, the imports from the subject country continue to hold significant share in the Indian market despite the domestic industry holding the capacity to meet the entire domestic demand and despite the anti-dumping duty imposed.

**Production, Capacity & Capacity Utilization**

42. The Authority notes that domestic industry, in some of its plants, has the capacity to manufacture PS plates (PUC) as well as the digital plates (non-PUC). Therefore, the Authority has considered the overall plant capacity and capacity utilisation in the present analysis. As per the table given below, the Authority notes that during the POI the production of the product under consideration and capacity utilization of the domestic industry has declined significantly as compared to the immediate preceding year. However, in view of the capacities of the domestic industry for analogue and digital plates being interchangeable, no inference on injury to the domestic could be drawn by the Authority.

| Particulars | Unit | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | (2011-12) POI |
|---|---|---|---|---|---|
| Installed capacity (Plant) | Million Kg | 24.56 | 24.56 | 24.56 | 24.56 |
| Trend | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Production of Product Concerned | Million Kg | 9.76 | 10.04 | 9.63 | 8.35 |
| Trend | | 100 | 103 | 99 | 86 |
| Production of Non-PUC | Million Kg | 3.98 | 7.67 | 12.46 | 11.55 |
| Trend | | 100 | 193 | 313 | 290 |
| Capacity Utilization (Plant) | % | 56% | 72% | 90% | 81% |
| Trend | | 100 | 129 | 161 | 145 |

**Sales of the Domestic Industry**:

43. Sales volume of domestic industry are given in the following table :

| Particulars | Unit | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | POI |
|---|---|---|---|---|---|
| Domestic Sales | Million Kg | 7.59 | 7.80 | 7.24 | 6.15 |
| *Indexed* | | 100 | 103 | 95 | 81 |

44. The sales volume of the domestic industry shows decline during the POI as compared to the immediate preceding year as well as the base year.

**Price Effect:**

45. The impact on the prices of the domestic industry on account of imports of the subject goods from the subject country have been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression. For the purpose of this analysis the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed value of imports from the subject country. A comparison for subject goods during the period of investigation was made between the landed value of dumped imports and the domestic selling price in the domestic market. In determining the net sales realization of the domestic industry, taxes, rebates, discounts and commission offered by the domestic industry have been adjusted. The price underselling is an important indicator of assessment of injury; thus, the Authority has worked out a non-injurious price and compared the same with the landed value to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been evaluated for the domestic industry by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the POI. Price effect of dumped imports and impact on domestic industry has been examined as follows:

**Price Undercutting and Underselling**

46. The price undercutting/underselling effects are examined below:

**Price Undercutting**

| Particulars | Unit | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 (POI) |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Sales realisation | Rs/KG | *** | *** | *** | *** |
| | Trend | 100 | 102 | 101 | 99 |
| Landed value of imports without ADD | Rs/KG | *** | *** | *** | *** |
| | Trend | 100 | 92 | 102 | 103 |
| Price Undercutting without ADD | Rs/KG | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 281 | 77 | 132 |
| Percentage | % | *** | *** | *** | *** |
| | % Range | 0-10 | 10-20 | 0-10 | 0-10 |

The Authority notes that during the POI the price undercutting was positive.

**Price Underselling**

In order to determine the price underselling effect, the Authority has compared the landed value of imports during the POI with the non-injurious selling price of the domestic industry and the trends in this regard during the POI are summarized below:

| Particulars | RS/KG. | 2011-12 (POI) |
|---|---|---|
| NIP | RS/KG. | *** |
| Landed value of imports without ADD | RS/KG. | *** |
| Underselling without ADD | RS/KG. | *** |
| Underselling % without ADD | % | *** |
| Underselling without ADD | % Range | 0-10 |

The Authority notes that the price underselling effect during the POI is positive.

**Price suppression and depression effects of the dumped imports:**

47. To examine the price suppression and depression effects of the dumped imports on the domestic prices, the trend of net sales realization of the domestic industry has been compared with the cost of production. The Authority notes that there is no evidence of price suppression/depression, as during the injury period, except the POI, domestic industry was able to increase its selling prices in spite of substantial reduction in its cost of production.

| Particulars | Unit | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | POI |
|---|---|---|---|---|---|
| Cost of production | Rs/KG | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Index | 100 | 91 | 90 | 96 |
| Net selling Price | Rs/KG | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Index | 100 | 102 | 101 | 99 |

**Examination of other Injury Parameters**

48. After having examined the effect of dumped imports on the volume and prices of the domestic industry and major injury indicators like volume and value of imports, capacity, output, capacity utilization and sales of the domestic industry as well as demand pattern with market shares of various segments, other economic parameters which could indicate existence of injury to the domestic industry are analysed hereunder:

**Profit/loss, return on investment and cash flow**

49. The return on investment, profit/loss before and after interest and cash profit are as shown in the table below :

| Particulars | Unit | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | POI |
|---|---|---|---|---|---|
| Cost of production | Rs/KG | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Index | 100 | 91 | 90 | 96 |
| Net selling Price | Rs/KG | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Index | 100 | 102 | 101 | 99 |
| Profit/Loss | Rs/KG | (***) | (***) | (***) | (***) |
| Trend | Index | (100) | (14) | (19) | (41) |
| Profit/loss | Rs.Lacs | (***) | (***) | (***) | (***) |
| *Trend* | *Indexed* | (100) | (14) | (18) | (33) |
| Profit before Interest | Rs.Lacs | (***) | *** | (***) | (***) |
| *Trend* | *Indexed* | (100) | 21 | (4) | (31) |
| Cash Profit | Rs.Lacs | (***) | (***) | (***) | (***) |
| *Trend* | *Indexed* | (100) | (2) | (10) | (29) |
| Return on Capital Employed | % | (***) | *** | (***) | (***) |
| *Trend* | *Indexed* | (100) | 22 | (5) | (36) |

The Authority notes from the above data that the cost of production as well as the net selling price of the domestic industry has declined during the POI as compared to the base year. However, the profit position of the domestic industry has remained negative throughout the injury period.

**Inventories**:

50. The data given in the table below shows that the inventory position of the domestic industry has declined during the POI as compared to the base year.

| Particulars | Unit | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | POI |
|---|---|---|---|---|---|
| Average Stocks | Million Kg | 0.60 | 0.42 | 0.31 | 0.33 |
| Average Stocks | Index | 100 | 70 | 52 | 55 |

**Employment, wages and Productivity**

51. The Authority notes from the information given in the table below that employment, wages and productivity have shown increasing trend during the POI as compared to the base year.

| Particulars | Unit | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | POI |
|---|---|---|---|---|---|
| Employment | No | *** | *** | *** | *** |
| *Trend* | Indexed | 100 | 100 | 106 | 106 |
| Wages | Rs. Lacs | *** | *** | *** | *** |
| *Trend* | Indexed | 100 | 107 | 123 | 107 |

**Ability to raise Capital Investment**

52. The ability to raise capital investment in the event of dumping is not relevant since the domestic industry is a multi-product industry

**Growth**

53. The Authority notes that the volume parameters of the domestic industry, especially production and domestic sale, indicate a negative growth during the POI as compared to the base year. Similarly, the price parameters also indicate a negative growth during the POI as compared to the base year. This has been noted by the Authority in the context of declining demand. Despite the anti-dumping duties, the dumping continues and dumping margin remains positive to the detriment of the domestic industry.

**Magnitude of Dumping Margin**

54. The Authority notes that the dumping margin of the imports of the subject goods from the subject country is positive during POI.

**H. Other Known factors and Causal Link:**

**Submissions by Domestic Industry**

55. As regards causal link, the following submissions have been made by the domestic industry:

i. The domestic industry has not been able to sell the product under consideration at desired quantities and has therefore accumulated stock over the period of investigation as well as the post POI period. The domestic industry has sufficient capacity to meet the entire demand in the country and therefore, availability of material is also not a constraint. Delivery problems are also almost non-existent. Thus, market conditions are favorably disposed towards using the product produced by the domestic industry and yet the domestic industry is not operating at optimum capacity. Such a situation has arisen only because of dumped imports coming into the country at significantly low prices.

ii. There have been no changes in technology since the imposition of duty in 2007 that could have caused injury to the Domestic Industry.

iii. The transition from analog to digital plates in the Indian printing industry has been much slower and is expected to take several more years. A significant number of existing and new printing establishments would continue to use 'analog plates'. Accordingly, the market size for analog plates will also grow in size in India in the next 3 to 5 years. Therefore, the current decline in demand is only a temporary phase and the demand is expected to pick up in the immediate future.

iv. The demand for analog plates during 2011-12 was 9.52 Million SQM. It is expected to go down marginally and stabilize around 8.50 Million SQM to 9.00 Million SQM in the short term. The market size is not expected to go down below this level.

v. Irrespective of demand of analog and digital plates, there is no justification of continued dumped imports from China. If duties are removed, there is an obvious likelihood of recurrence of dumping since imports are coming in much lower than the reference price, which is going to cause severe injury to the Domestic Industry.

vi. It is an admitted fact that demand has come down over the injury period and the period of investigation. However, despite the fact that demand and imports have come down, the market share of the Domestic Industry has grown only marginally. Further, since demand has come down, it is now less than the total capacity for the product possessed by the Domestic Industry.

vii. Even if demand has declined, Designated Authority is only required to ensure that injury caused to the Domestic Industry as a result of such decline is not attributed to the dumped imports. What the Interested Parties are trying to imply is that since there is a decline in demand, the entire injury ought to be attributed to it. Just because there is another factor which may marginally be responsible for injury does not mean that the dumped imports have not caused injury. There is still a substantial price injury caused to the Domestic Industry which has nothing to do with declining demand. Therefore, the argument of the Interested Parties that declining demand has led to continued material injury is without basis and is liable to be dismissed.

**Submissions by the producers/exporters/other interested parties**

56. As regards causal link, the following are the submissions made by the opposite interested parties:

i. The real cause for injury to the domestic industry is their excess capacity for the PS plates and decline in the demand. There is sharp decline in the demand for the PS Plates and sharp increase in the demand for digital plates in the country. This is the cause of injury and not dumped imports as alleged by the petitioners.

ii. Almost 100% of petitioner's business was of analogue plate earlier which has now admittedly declined to 45% of total business. It is an admitted position that the consumption pattern has significantly changed from analogue to digital plate, as a result of which demand for the product under consideration has significantly declined. Thus, there is no causal link between deterioration in performance of the company and imports of the product in the country.

iii. Technova has claimed to have suffered financial losses in 2008-09 despite anti-dumping duty being in place. This shows that the injury to Technova is on account of other factors and not imports.

iv. There is no co-relationship between import prices and selling price of the domestic industry, thus no causal link. The normal value and consequently dumping margin have significantly declined. When normal value has substantially declined, export price has not shown such material decline. Thus there is no likelihood of dumping in the event of revocation of anti-dumping duty.

**Examination by the Authority**

57. Under Section 9A (5) of the Act, the Authority is required to examine the likelihood of dumping and injury and the need for continuation of duties. Notwithstanding this, the Authority examined whether other known factors could have caused injury to the domestic industry as follows:

i) **Imports from Third Countries**: - The imports of the subject goods from other countries are either below de-minimus or the import price is higher. Therefore, imports from any other country cannot have any adverse effect on the domestic industry.

ii) **Contraction in Demand and Pattern of consumption**:- The invent of Digital Plate is a step ahead in the modernization of the printing industry. The quality and magnitude of demand in the printing sector is fast being met by the digital plates, leading to decline in demand for analog plates. But, due to high cost involved in switching over from 'analog' plates to 'digital' plates, small printers continue to use the analogue plates. The more the adoption of digital plates by the consumers, the less the demand shall be for the analogue plates in the country. However, the demand for the analogue plates in the domestic market is still substantial.

iii) **Conditions of competition**: - The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for the claimed injury to the domestic industry.

iv) **Developments in technology**: - The Authority notes that invent of digital plate is a technological development in the printing technology which has affected the demand for the analogue plates. But, invent of digital plates cannot be held as the sole culprit for injury to the domestic industry.

v) **Export performance:** The domestic industry has also made export sales of subject goods. However, the injury analysis has been done without including export performance of the domestic industry.

**Likelihood Analysis**

**Submissions by Domestic Industry**

58. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury :

i. Removal of the Anti-dumping duty will encourage and enhance the import of PS Plates at ridiculously low prices, thereby adversely impacting the Domestic Industry and causing huge financial injury.

ii. Since none of the exporters or importers has filed the requisite questionnaires in the present investigation and since exporters have not established that there is no likelihood of continuation and recurrence of dumping and injury, the Authority must conclude that duties ought to be continued in light of the continued dumped imports and fragile state of the Domestic Industry.

iii. Previously, analog plates were exported to India under the classification of CTCP plates in order to circumvent the duties on PS Plates. Since there are now duties in force on CTCP plates as well, removal of duties on analog plates will lead to exports of CTCP plates under the classification and description of analog plates in order to circumvent the duty on CTCP plates.

iv. As per the market information available with the Domestic Industry, huge excess and idle capacity is available in China PR, which is more than the total domestic demand in India. It is highly likely that the excess capacity would be utilized to produce more and ship the additional production to India in the event of withdrawal of the existing duties.

v. Further, these excess capacities are bound to be focused on the Indian and other Asian markets since most of Europe and a majority of the American markets have already made the transition to digital plates and there is no demand in those countries for PS (analog) plates.

vi. Imports of analog plates from China have been made subject to anti-dumping duties in countries such as Brazil and Turkey. In fact, Brazil has already initiated a sunset review to determine whether or not to continue duties for imports from China. It is pertinent to note that due to the operation of these duties, India will become an easy target if it removes its anti-dumping duties since Chinese exporters will have no other target.

vii. During the year 2010 and 2011, the domestic industry had supplied substantial quantities of subject goods to domestic users, but many of them did not buy from the domestic industry in 2012 for further orders despite repeated price enquiry proposals received from them.

viii. The imports from countries other than the subject country are not significant in volume terms so as to cause or threaten to cause injury to the Domestic Industry. There is no likelihood of increased imports coming into India from any of the other countries not subject to duty.

ix. Imports from China PR have continued to be made at a price significantly lower than the reference price fixed by the authority. If duties are removed, the domestic industry shall once again be vulnerable to the low prices at which imports sourced from China are being made into India.

x. It may be seen that the imports from China have declined at a rate comparable to the decline in demand. Further, the imports continue to come at heavily dumped prices, whereby they pose a substantial threat to the Domestic Industry should duties be withdrawn.

xi. CIF prices continue to be significantly lower than the reference price even at USD/Sqm whereby withdrawal of duties at this stage is bound to lead to continuation and recurrence of dumping and injury.

**Submissions by the producers/exporters/other interested parties**

59. Following submissions, considered relevant by the Authority, have been made by the producers/ exporters/other interested domestic industry with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury :

i. If exporters have not established that there is no likelihood of dumping and injury, it cannot be presumed that there is likelihood of dumping and injury. Since the petitioner has sought extension of anti-dumping duty, the burden to establish likelihood of dumping and injury in the event of cessation of anti-dumping duties is on the petitioner domestic industry.

ii. The claim of excess capacity in the subject country is based on mere conjectures. No evidence has been provided in support of it. Further, mere excess capacity is not enough, what is important is surplus capacities and possibilities of these surplus capacities being utilized for exports to India.

iii. It is an admitted position that the consumption pattern has significantly changed from analogue to digital plate and consequently demand for the product is fast declining, thus showing no likelihood of injury.

**Examination by the Authority**

60. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties imposed on the imports of subject goods from China PR. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of anti-dumping duty is warranted. This also requires examination of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping.

61. The Authority notes that neither the producers/exporters of the subject goods in the subject country, nor the importers of the subject goods in India have cooperated by filing the questionnaire responses. Therefore the submissions made on behalf of the producers/exporters/importers are unsubstantiated.

62. In the present investigation, as there are continued dumped imports from the subject country, the Authority is not required to examine whether revocation of duty is likely to lead to recurrence of dumping. Despite the anti-dumping measures in force, the subject country could maintain a significant presence in the Indian market and continued to dump the subject goods to the detriment of the domestic industry. Nevertheless, the likelihood of continuation/intensification of dumping of the subject goods from the subject country, in the event of revocation of the anti-dumping duty are analysed as below:

**Demand for Subject Goods and Price attractiveness of Indian market**

63. The demand for the subject goods in the domestic market, although declining, still continues to be sizable. Moreover, as reported by the domestic industry, the demand for the subject goods in the world market, especially in the developed countries, is also declining. The existing positive price undercutting and underselling effects during the POI indicate the price attractiveness of the Indiana market. Thus, considering the Chinese capacity and export orientation, the dumping is likely to intensify in the event of revocation of duty.

**Production Capacity of China and its Export Orientation**

64. The Authority notes that none of the producers/exporters of the subject goods in the subject country has cooperated and filed exporter's questionnaire response in the present investigation. Nevertheless, as submitted by the domestic industry, the Chinese Capacity is as follows:

| Producers in China | Capacity in Million Sqm |
|---|---|
| Lucky Huaguang Graphics | 40 |
| Shanxi Jingun | 5 |
| AONE Graphics | 12 |
| Zhejiang Aoguang Printing | 8 |
| Shanghai Bocica Printing | 12 |
| PNE Print | 30 |
| Strong State Printing (2011) | 33 |
| Other Producers | 60 |
| Total Estimated Capacity | 200 |

Considering the huge excess capacity stated to be available in China PR, the Indian demand of about 10 million SQM per annum can be completely catered by the Chinese exporters. Thus, considering the continued substantial demand for the subject goods in the Indian market and its price attractiveness, in the event of revocation of the ADD, the dumping is likely to intensify further.

**Anti-dumping Duty imposed by Turkey and Brazil**

65. Apart from India, the import of subject goods from China PR is also subjected to anti-dumping duty by the Government of Turkey and Brazil. Gaining their strength from the huge production capacity and considering the continued demand in Indian market and its price attractiveness, the Chinese exporters will be in a strong position to dump the subject goods in India in a much intensified manner in the event of revocation of the anti-dumping duty by India.

**I. Magnitude of injury and injury margin**

66. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry has been determined by the Authority in terms of Annexure III to the Anti-dumping Rules. The NIP so determined, has been compared with the landed value of the exports of subject goods for determination of injury margin during the POI as below :

| Particulars | US$/Kg | Rs/Kg. |
|---|---|---|
| Non-Injurious Price | *** | *** |
| Landed Price without ADD | *** | *** |
| Injury Margin | *** | *** |
| IM % | *** | *** |
| Injury Margin range | 2-10 | 2-10 |

**Post- Disclosure Comments**

67. The following are the post disclosure comments made by the domestic industry:

i. Although the Domestic Industry has initially prayed for fixed duties, the Domestic Industry hereby withdraws that request and prays for a continuation of the duties as originally levied i.e. US$/KG imposed on reference price basis.

ii. None of the exporters or importers has filed the requisite questionnaires in the present investigation. Since Exporters have not established that there is no likelihood of continuation and recurrence of dumping and injury, the Designated Authority must conclude that duties ought to be continued in light of the continued dumped imports and fragile state of the Domestic Industry.

iii. Without having filed any questionnaire responses, the importers namely Creed Engineers as well as other user associations have no locus in this investigation.

**Other interested parties**

68. The following are the post disclosure comments made by the other interested parties:

i. There is no relationship between the movement of landed price of imports, cost of production and selling price of the domestic industry. Decline in demand is the cause of injury to the domestic industry.

ii. Mere existence of injury and dumping does not lead to the conclusion that there exists likelihood of dumping and injury. It needs to be seen whether or not the injury being suffered by the domestic industry is on account of imports.

iii. Designated Authority may consider definitive anti-dumping duty in terms of fixed amount only, in view of steep decline in aluminium prices.

**Examination by the Authority**

69. The Authority notes that post-disclosure both the opposing parties mostly reiterated their earlier submissions. As regards the submission on form of duty, the same has been addressed in the relevant paragraph of this finding.

## J. Indian Industry's Interest & Other Issues

70. The Authority recognizes that imposition of anti-dumping duties might affect the price level of product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantage gained by dumping practices, would arrest the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. Consumers could still maintain one or even more sources of supply.

71. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

## K. CONCLUSIONS

72. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in this final finding and on the basis of the above analysis of the state of continuation of dumping and consequent injury and likelihood of continuation of dumping and injury, the Authority concludes that:

i. Imports of the subject goods from subject country continue to command a significant share during the POI despite the extant anti-dumping measures and domestic industry's capacity to satisfy the entire domestic demand;

ii. Volume of dumped imports from subject country is quite significant in relation to production and consumption in India;

iii. There has been continued dumping of the subject goods from subject country and the dumping is likely to continue and intensify if the anti-dumping duty is allowed to cease.

iv. Price undercutting and price underselling effect without anti-dumping duty are positive;

v. The Authority notes that the volume parameters of the domestic industry, especially production and domestic sale, indicate a negative growth during the POI as compared to the base year. Similarly, the price parameters also indicate a negative growth during the POI as compared to the base year.

vi. The subject goods are entering the Indian market at dumped prices from the subject country and the dumping margin is substantial during POI, causing injury to the domestic industry. Since the domestic demand for analogue plates still continues to be sizable and the consumption pattern seems unlikely to shift completely towards the digital plates in near future, should the anti-dumping duties gets revoked, dumping of the subject goods may continue causing further injury to the domestic industry.

## L. Recommendations

73. Authority notes that throughout the investigations the domestic industry pleaded for imposition of fixed form of duty. In view of the submissions of the domestic industry during the investigation and taking in to account other relevant considerations including changing patterns of production and demand for the subject goods, the Authority recommends levy of fixed form of duty in the present investigation.

74. Having concluded as above, the Authority is of the view that the anti-dumping measure is required to be extended and revised in respect of imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, as specified in the duty table below. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury margin, the landed value of imports has been compared with the non-injurious price of the domestic industry determined for the period of investigation. The margin of dumping and injury determined by the Authority is indicated in the paragraphs above. Accordingly, the anti-dumping duty equal to the amount indicated in Col. 9 of the table below is recommended to be

imposed concerning all imports of the subject goods, originating in or exported from China PR, by the Central Government.

**Duty Table**

| S. No. | Heading/ Sub-heading | Description of goods | Specification | Country of Origin | Country of Exports | Producer | Exporter | Duty Amount | Unit | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1. | 37, 76 or 84 | Pre-sensitised Positive Offset Aluminium Plates | Thickness ranging from 0.15MM to 0.40 MM with a variation of 0.03 MM on either side. | China PR | China PR | Any | Any | 0.22 | Per Kg | US $ |
| 2 | | -Do- | -Do- | China PR | Any other than China PR | Any | Any | 0.22 | Per Kg | US $ |
| 3 | | -Do- | -Do- | Any other than China PR | China PR | Any | Any | 0.22 | Per Kg | US $ |

**M. Further Procedures**

75. An appeal against this order, after its acceptance by the Central Government, shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

J. S. DEEPAK, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Co ntroller of Publications, Delhi-110054.